प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष—2022—2023

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

<u>अनुक्रमणिका</u>

क्र.सं.	विषयक बिन्दु	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	1–2
3.	सस्वीकृत–कार्यरत तथा स्थित पदों का विवरण	3–6
4.	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षों से तुलना	7–9
5.	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां	10–35
6.	सार संक्षेप (Excutive summary)	35

प्रस्तावना–

जयपुर विकास प्राधिकरण के बढ़ते कदम

राज्य सरकार द्वारा जयपुर नगर की बढ़ती आबादी और विकसित होते महानगरीय स्वरूप के अनुसार आधारभूत सुविधाओं के व्यवस्थित और समन्वित विकास के उद्देश्य से वर्ष 1982 में **''जयपुर विकास प्राधिकरण''** का गठन किया गया था। राज्य सरकार के कुशल नेतृत्व में जेडीए राज्य सरकार की मंशा एवं जन आंकाक्षाओं के अनुरूप कार्य करने के संकल्प के साथ निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

जयपुर विकास प्राधिकरण ने शहर के चौतरफा विकास के साथ ना केवल सभी वर्ग की आवासीय जरूरतों का पूरा करने के प्रयास किए वहीं पर्यटन स्थल, उद्यान, वृक्षारोपण, धार्मिक स्थल एवं खेल मैदान विकसित कर मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध करवाए हैं। यही वजह है कि प्रति वर्ष लाखो पर्यटक जयपुर में भ्रमण कर यहॉ इतिहास की सुरम्य वादियों के साथ आधुनिक निर्माण की छटा देखकर अभिभूत हो उठते है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

प्रशासनिक ढांचा : नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री जयपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है। जयपुर विकास आयुक्त के नेतृत्व में प्रशासनिक, अभियांत्रिकी, नगर आयोजना, वित्त, विधि और प्रवर्तन प्रकोष्ठ हैं, जो जेडीए द्वारा बनाई गई नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पूर्ण निष्ठा तथा संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित करने के लिए निरंतर कार्यरत हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण का संगठन चार्ट

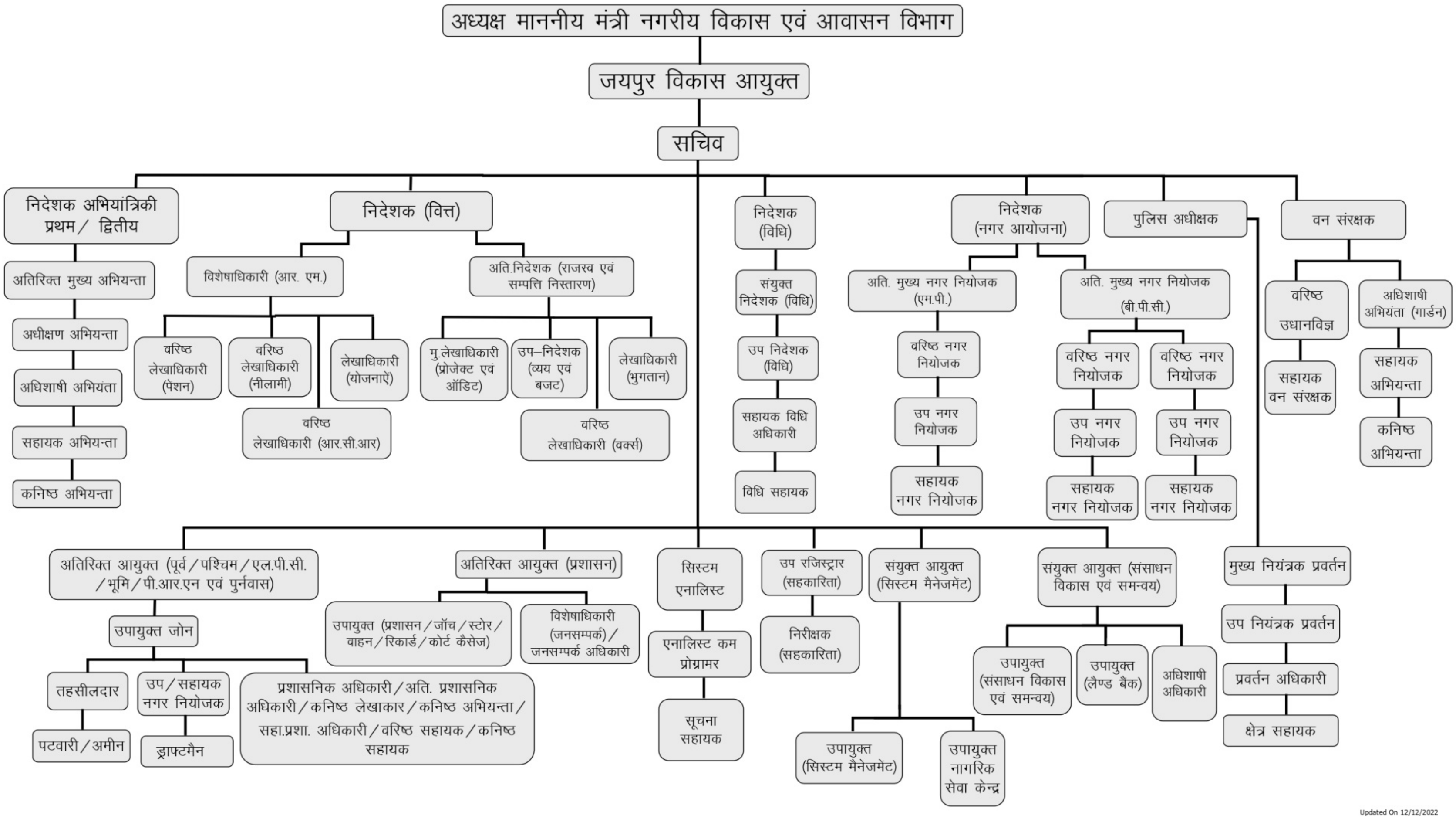

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR as on 26.12.2022

POSITION OF SANCTIONED POST & DETAILS OF POSTED PERSONS

Sr. No.	POST	PARMANENT SANCTION POST	TEMPORARY SANCTION POST FOR PRN	TOTAL SANCTION POST	POSTED (JDA/ DEPUTATION)	VACANT POST
1	JDC	1		1	1	
2	SECRETARY	1		1	1	
3	SUPERINTENDENT OF POLICE	1		1		1
4	CONSERVATOR OF FOREST	1		1	1	
5	DIRECTOR(FINANCE)	1		1	1	
6	DIRECTOR(ENGINEERING)	1		1	1	
7	DIRECTOR(TOWN PLANING)	1		1	1	
8	DIRECTOR(LAW)	1		1	1	
9	DIRECTOR (PROJECT)	1		1	1	
10	MEMBER JDA TRIBUNAL	1		1	1	
11	CHIEF JUDICIAL MEGISTRATE	2		2	2	
12	ADD. CHIEF TOWN PLANNER	2		2	1	1
13	ADDL. CHIEF ENGINEER	7		7	5	2
14	DIRECTOR/OSD (LAND/AC/LPC)	1		1	1	
15	ADDL.COMM.(ADMIN.)	1		1	1	
16	ADDL.COMM.(WEST)	1		1		1
17	ADDL.COMM.(EAST)	1		1		1
18	AC (LAND & L.A.O.)	1		1	1	
19	AC (P.R.N.)	-	1	1	1	
20	JOINT COMMISSIONER	2		2		2
21	OSD (R.M.)	1		1		1
22	ADDL.DIRECTOR (E & B)	1		1	1	
23	ADDL.DIRECTOR (R & DP)	1		1	1	
24	CHIEF CONTROLLER(ENF.)	1		1	1	
25	DY. CONTTROLLER.(ENF.)	4		4	3	1
26	JOINT REGISTRAR	1		1		1
27	SYSTEM ANALYST (JOINT DIRECTOR)	1		1	1	
28	DY.COMMISSIONER/ AUTHORISED OFFICERS	20	4	24	28	
29	ASSTT.COMMISSIONER	2		2		2
30	EXECUTIVE OFFICER	7		7	6	1
31	SUPDT. ENGINEER	14		14	13	1
32	EXECUTIVE ENGINEER	43	2	45	53	
33	ASSTT. ENGINEER	83	4	87	70	17
34	SENIOR TOWN PLANNER	5		5	1	4
35	DY. TOWN PLANNER	9		9	8	1
36	ASSTT. TOWN PLANNER	24	4	28	10	18

37	SR. HORTICULTRIST	1		1	1	
38	SENIOR ACCOUNTS OFFICER	5		5	2	3
39	ACCOUNTS OFFICER	3		3	1	2
40	ASSTT. ACCOUNTS OFFICER	7		7	5	2
41	JOINT DIRECTOR (LAW)	1		1	1	
42	DY. DIRECTOR(LAW)	1		1	1	
43	ASSTT. LAW OFFICER	2		2	2	
44	ASSTT. PUBLIC PROSECUTOR	2		2	2	
45	DY. REGISTRAR(CO-OP.)	3		3	1	2
46	ASSTT. REGISTRAR	2	1	3		3
47	SR. PRIVATE SECRETARY	3		3	3	
48	PRIVATE SECRETARY	15		15	6	9
49	ANALYST CUM PROGRAMMER (DY. DIRECTOR)	1		1	1	
50	TEHSILDAR/NAYAB TEHSILDAR	45	4	49	50	
51	ADM. OFFICER	6		6	4	2
52	ENFORCEMENT OFFICER	15		15	10	5
53	RESEARCH ASSISTANT	1		1		1
54	SR. GARDEN SUPDT.	1		1		1
55	ASSTT.CON. OF FOREST.	1		1		1
56	RENGER GRADE-1	1		1	1	
57	O.S.D.(INFORMATION)	1		1		1
58	O.S.D.(ESTT.)	1		1		1
59	REHABALITATION OFFICER	1		1		1
60	SENIOR P.A.	15	1	16	1	15
61	PERSONAL ASSISTANT (P.A.)	10		10		10
62	STENOGRAPHER	21		21	1	20
63	P.R.O.	1		1		1
64	ASSTT. P.R.O.	1		1		1
65	LAW ASSISTANT	23	2	25	8	17
66	ACCOUNTANT	18		18	32	
67	JUNIOR ACCOUNTANT	59	4	63	15	48
68	ADDL. ADMINISTRATIVE OFFICER	14	4	18	14	4
69	ASSTT. ADMINISTRATIVE OFFICER	36	5	41	17	24
70	SR. ASSISTANT	81		81	15	66
71	JUNIOR ASSISTANT	282	13	295	40	255
72	STATISTICAL ASSTT.	1		1		1
73	JUNIOR ENGINEER	263	8	271	78	193
74	TOWN PLANNER ASSTT.	10		10	2	8
75	SR. DRAFTSMAN	20		20	3	17
76	JUNIOR DRAFTSMEN	3	-	3		3
77	TRACER	3		3	-	3

78	SURVEYER(CIVIL)	17		17		17
79	FEROMAN	3		3	2	1
80	INSP. LAND RECORD	1		1	2	
81	PATWARI/AMIN	69	4	73	18	55
82	INSPECTOR	5	2	7	4	3
83	ASSTT. INSPECTOR	2	-	2		2
84	FIELD ASSISTANT	14	2	16	5	11
85	COOPERATIVE INSPECTOR	4	2	6	1	5
86	GARDEN INSPECTOR	2		2	2	
87	ASSTT. INSPECT. GARDEN	3		3	2	1
88	COMPUTER PROGRAMMER	3		3		3
89	COMPUTER OPERATOR (ASSISTANT PROGRAMMER)	6		6	-	6
90	INFORMATIC ASSISTANT	5		5	11	
91	INVESTIGATOR GRADE-1	1		1		1
92	INVESTIGATOR GRADE-II	1		1		1
93	TELEPHONE OPERATOR	4		4		4
94	SR. LIFT OPERATOR	1		1	1	-
95	LIFT OPERATOR	4		4		4
96	SUPERVISER	5		5	5	
97	MISTRI -1	9		9	5	4
98	MISTRI -11	23		23	15	8
99	HELPER(ENGG.)	47		47	1	46
100	MACHNIC GRADE-1	1		1		1
101	AUTOMOBILE SUPERVISOR	1		1		1
102	LOADER OPERATOR	3		3	2	1
103	DRIVER	23		23	7	16
104	SUPERVISER(ELECT.)	2		2	2	-
105	SUPERVISER (PHE)	1		1	1	
106	WIREMAN GRADE-I	2		2	1	1
107	WIREMAN GRADE-II	3		3	1	2
108	FORESTOR	1		1	2	
109	CHIEF BAGWAN	9		9	2	7
110	MALI	20		20		20
111	JAMADAR/DAFTARY	26		26	16	10
112	FOURTH CLASS/BELDAR	265		265	36	229
113	CHOKIDAR	13		13		13
114	FITTER-I	1		1	1	
115	FITTER -II	3		3		3
116	CARPENTER	1		1	1	-
117	PUMP DRIVER-I	1		1	1	-
118	PUMP DRIVER-II	3		3	1	2

119	MUNSARIM	2		2		2
120	READER(C.J.M.)	2		2		2
121	DY. ENGINEER/SURVEYER	1		1		1
122	MUNSHI(TRAINED)	3		3		3
123	MUNSHI(UNTRAINED)	3		3		3
124	CARE TAKER	1		1		1
125	MODLER	1		1		1
126	MOHARIR	2		2		2
127	MACHINEMAN	1		1		1
128	CHAINMAN	1		1		1
129	BHISTI	2		2		2
130	SWEEPER	3		3		3
	TOTAL	**1855**	**67**	**1922**	**682**	**1275**

नोटः— पृथ्वीराज नगर योजना हेतु सृजित 67 अस्थाई नवीन पदों के सृजन की अवधि दिनांक 31.08.2019 को समाप्त हो चुकी है जिसे बढाये जाने हेतु नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार से निवेदन किया हुआ है इसलिये वे पद भी उपरोक्तानुसार इसमें शामिल किये हुये है।

वित्तीय स्थिति

जयपुर विकास प्राधिकरण के वित्तिय वर्ष 2022–2023 में कुल प्राप्तियां राशि रू. 1850.00 करोड एवं कुल व्यय राशि रू. 1840.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया है।

प्राधिकरण की कुल प्राप्तियाँ (पूँजीगत, राजस्व, डिपोजिट, ऋण एवं अग्रिम) पूँजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों (जैसे भूमि विक्रय, अनुदान, शहरी जमाबन्दी एवं ब्याज इत्यादि) में वित्तिय वर्ष 2022–2023 (माह दिसम्बर 2022) तक राशि रूपये 1267.94 करोड़ प्राप्त हुये है जिसमें पूँजीगत एवं राजस्व प्राप्तियों राशि रूपये 1187.82 करोड़ शामिल है। डिपोजिट एवं अग्रिम मद में राशि रूपये 80.12 करोड़ प्राप्त हुये है।

- वित्तिय वर्ष 2022–2023 (माह दिसम्बर 2022) तक पूँजीगत, राजस्व, डिपोजिट एवं अग्रिम मद में कुल राशि रूपये 1232.06 करोड़ के व्यय किये गये है जिसमें पूँजीगत व्यय की राशि रूपये 853.17 करोड़ हैं जिसमें ऋण के पुर्नभुगतान की राशि रूपये 130.13 करोड़ शामिल है।
- संस्थापन मद में वित्तिय वर्ष 2022–2023 (माह दिसम्बर 2022) तक 143.13 करोड़ व्यय किये गये है जिसका औसत मासिक व्यय लगभग राशि रूपये 15.90 करोड़ है।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक प्रगति विवरण

क्र. स.	प्रोविजन	योजना	भूखण्ड / फ्लैट्स				कुल	विशेष विवरण
			EWS	LIG	MIG-A	General		
1.	प्रोविजन 3ए, 3बी (फ्लैट)	65	12208	25250	–	–	37527	
2.	प्रोविजन 3बी (भूखण्ड)	12	287	582	–	–	943	
3.	प्रोविजन 1ए (भूखण्ड) जेडीए स्कीम	141	3701	4341	–	–	8043	
4.	जविप्रा स्कीम	05	–	–	–	1512	1512	
5.	प्रोविजन 4ए (फ्लैट)	05	1448	–	–	–	1448	
6.	अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी–2009 एवं राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 के तहत आवंटन हेतु भूखण्ड / फ्लैट	35	752	332	51	–	1135	
	कुल योग	263	18396	30505	51	1512	50608	

मास्टर प्लान प्रकोष्ठ, जविप्रा स्तर से मास्टर विकास योजना–2025 से संबंधित किये गये कार्यो की सूचना निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

क्र.सं.	योजना	प्रगति
1.	**हैरिटेज सिटी**	दिनांक 31.10.2022 को ''न्यू हैरिटेज सिटी के मुख्य प्रावधान व रोड़ नेटवर्क प्लान'' अधिसूचित किये गये।
2.	**ग्रीन सिटी**	दिनांक 31.10.2022 ''ग्रीन सिटी के मुख्य प्रावधान व रोड़ नेटवर्क प्लान'' अधिसूचित किये गये।
3.	TPS Scheme	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार (MoHUA GoI)की अमृत योजना में "Pilotonformulation of Local Area Plan (LAP) and Town Planning Scheme (TPS) अन्तर्गत डिग्गी–मालपुरा रोड पर (राजस्व ग्राम अचरावाला, जयसिंहपुरा उर्फ तेजावाला व अभयपुरा) एवं टोंक रोड़ पर (राजस्व ग्राम शिवदासपुरा, चन्दलाई व बरखेडा) लैण्ड पूलिंग स्कीम दिनांक 06.10.2022 को योजना अधिसूचित की गई है।
4.	उत्तरी रिंग रोड़ परियोजना	मास्टर विकास योजना–2025 में दर्शित उत्तरी रिंग रोड़ (आगरा रोड़ से दिल्ली रोड़ एवं दिल्ली रोड़ से सी जोन बाईपास) तथा उसके 360 मीटर डवलपमेंट कॉरिडोर को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त रिंग रोड़ के विलोपन के फलस्वरूप रिंग रोड़ कॉरिडोर के भू–उपयोग (सड़क एवं डवलपमेंट

		कॉरिडोर) के स्थान पर इसके दोनों ओर दर्शित भू–उपयोग को इस कॉरिडोर की केन्द्रीय रेखा तक विस्तारित किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रस्ताव अनुसार मास्टर विकास योजना–2025 में दर्शित उत्तरी रिंग रोड़ (आगरा रोड़ से दिल्ली रोड़ एवं दिल्ली रोड़ से सी जोन बाईपास) के स्थान पर जोनल विकास योजना–7 व जोनल विकास योजना–13 में दर्शित 60 मीटर चौड़ी एन.एच.ए.आई. सड़क के निर्धारित अलाईनमेंट को यथावत रखते हुए इसकी चौड़ाई 60 मीटर के स्थान पर 70 मीटर प्रस्तावित करते हुए मास्टर विकास योजना–2025, जोनल विकास योजना–07 व जोनल विकास योजना–13 में 360 मीटर डवलपमेंट कॉरिडोर (प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ते हुए) निर्धारित किया गया है। रिंग रोड़ के क्रियान्वयन की कार्यवाही एन.एच.ए.आई व जविप्रा स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

मास्टर विकास योजना–2025 दिनांक 06.09.2011 से प्रभावी है। वर्तमान में मास्टर विकास योजना–2050 के प्रस्ताव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 1.04.2022 से आदिनांक तक की प्रगति रिपोर्ट

		Total Progress			31/12/2022	
Sr. No.	Perticuler	Number of Application Recived	Disposed	Percentage	Number of Application Recived	Disposed
1	Lease Hold	21792	21684	99.50%	2	2
	Lease Hold To Free Hold	10839	10824	99.86%	13	13
	Free Hold	43783	43523	99.41%	175	177
	Total Lease Deed	**76414**	**76031**	**99.50%**	**190**	**192**
2	Name Transfer	8052	8022	99.63%	15	17
3	Sub division/ Reconstitution	2760	2736	99.13%	5	5
4	Building Plan Approval	48511	48492	99.96%	135	135
5	Due Lease & OTLC	31762	31740	99.93%	125	125
6	Khancha Bhumi	14	13	92.86%	0	0
7	**Total Revenue Generated**	**27,697.30 Lakh**				

विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्ध आलोच्य वर्ष में प्रगति
आधारभूत सुविधाओं का विकास वर्ष 2022–23

सडक निर्माण / नवीनीकरण / सुदृढीकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022–23 में सडकों के निर्माण / नवीनीकरण / सुदृढीकरण व मरम्मत कार्य करवाये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण	समतुल्य लम्बाई (किमी.)	व्यय (राशि करोडों में)
1	नवीन सडकों का निर्माण	135.27	42.28
2	नवीनीकरण	293.85	60.39
3	सुदृढीकरण	100.30	26.60
4	मरम्मत एवं अन्य सडक कार्य	72.59	39.62
	कुल	**602.01**	**168.89**

विद्युतीकरण :–

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पादित विभिन्न विकास कार्यो के क्रियान्वयन में बाधक विद्युत लाईनों को हटाने पर कुल राशि रू 806.46 लाख का व्यय किया गया जिसके तहत एलिवेटेड रोड, आर.ओ.बी. /आर.यू.बी. पृथ्वीराज नगर आदि स्थानों पर विद्युत लाईन शिफ्टिंग का कार्य किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित विभिन्न योजनाओं के विद्युतीकरण पर राशि 3309.41 लाख का व्यय किया गया जिसके तहत निलय कुंज, स्वर्ण विहार, वेस्ट–वे हाईट्स, पृथ्वीराज नगर, किशन बाग, ज्योतिबा राव फूले, शिव एन्क्लेव, हाथोज करधनी, गोकुल नगर, महिन्द्रा सेज, सेज पुर्नवास एवं जेजस विहार इत्यादि योजनाओं में नई विद्युत लाईन डालने, ट्रांसफार्मर लगाने एवं 33 / 11 केवी सब–स्टेशन बनाने आदि के कार्य किये गये। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कुल राशि रू. 3506.96 लाख का व्यय किया गया जिसके तहत शहर के विभिन्न चौराहो, तिराहे, पार्क, राजस्थान विश्वविधालय, सार्वजनिक अस्पताल एवं द्रव्यवती नदी इत्यादि में सी.सी.टी.वी. कैमरे, वाई–फाई हॉट स्पॉट, इन्टर एक्टिव कियोस्क, एन्वायरमेन्ट सेंसर तथा विधाधर नगर, बस्सी, निवारू रोड, नारायण विहार, महल रोड, शिवदासपुरा इत्यादि में स्मार्ट लाईटें स्थापित किये गये। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकार क्षेत्र में ट्रैफिक लाईट, स्ट्रीट लाईट, हाई मास्ट लाईट एवं सौन्दर्यकरण के कार्य हेतु राशि रू 2225.37 लाख का व्यय किया गया।

ऊर्जा बचत के क्षेत्र में जविप्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धि :–

ऊर्जा बचत के क्षेत्र में अभिनव प्रयास करते हुए जविप्रा भवन में सम्मिलित रूप से दो योजनाओं को एक साथ लागू किया गया है :–

प्रथम योजना में जविप्रा परिसर की छतों पर 366 किलोवाट सोलर संयंत्र की स्थापना की गई, जिससे की लगभग 30000 यूनिट प्रतिमाह विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है एवं 18.00 लाख रूपये की वार्षिक बचत की जा रहीं है। इसके अतिरिक्त लगभग 2000 यूनिट प्रतिमाह जयपुर विद्युत वितरण

निगम लिमिटेड को निर्यात की जा रही है जिससे लगभग 2.00 लाख रूपये की अतिरिक्त वार्षिक बचत की जा रहीं है।

द्वितीय योजना में बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएन्सी योजना के अन्तर्गत जविप्रा परिसर में स्थित लगभग 4000 विद्युत उपकरणों को ऊर्जा दक्ष उपकरणों में परिवर्तित करने से विद्युत भार में लगभग 500 किलोवाट की कमी की गई जिससे लगभग 35.00 लाख रूपये वार्षिक बचत होगी।

इन दोनों योजनाओं के सम्मिलित प्रभाव से जविप्रा को वार्षिक लगभग 55–60 लाख रूपये की बचत होगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम छितरौली में 10 मेगावाट का सॉलर प्लॉन्ट प्रस्तावित है जिसके क्रियान्वयन के बाद विद्युत बिलों में लगभग 7.16 करोड प्रति वर्ष की बचत संभावित है।

स्मार्ट सिटी :–

गुलाबी शहर अपने ऐतिहासिक धरोहर के कारण विश्वविख्यात है। इसी का परिणाम है कि हर साल हजारों की संख्या में देशी–विदेशी पर्यटक जयपुर भ्रमण के लिए आते है। पर्यटकों को अत्याधुनिक अंतराष्ट्रीय स्तर की सुविधाऐं सुलभ हो सके। इसके लिए शहर को स्मार्ट हब के रूप में विकसित करने का दायित्व राज्य सरकार द्वारा जविप्रा को दिया गया है जिसमें शहर के ऐतिहासिक स्थलों, यूटिलिटी सेंटर्स आदि के संबंध में जानकारी एवं ई–गर्वनेंस की सुविधाऐं एक ही बटन पर मिल सके ऐसे उपकरण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जयपुर शहर में स्थापित करवाये गये है। सुविधाओं के Centrally Control Operation & Management के लिए जेडीए में नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (NOC) स्थापित किया गया है। NOC पर जेडीए द्वारा विकसित की गई सभी सुविधाएं एक ही नेटवर्क से ऑपरेट की जा रहीं है।

सोडाला एलिवेटेड रोड फसाड लाईटिग :–

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सोडाला एलिवेटेड रोड पर आर्किट्रेक्चरल डायनेमिक फसाड लाईटिंग का कार्य किया जा रहा है।

डायनेमिक फसाड लाईटिंग केवल लाईटिंग ही नही होकर लाईटिंग, आर्ट, साईन्स एवं टेक्नोलोजी का कॉम्बीनेशन है। जिसमें आवश्यकता अनुसार, तीज–त्यौंहार, उत्सव के अनुसार फ्रीक्विंटली लाईटिंग इफेक्ट्स बनाये तथा बदले जा सकते है।

इसमें आरजीबीडब्लू लाईट्स का इस्तेमाल कर डीएमएक्स कन्ट्रोलर तथा स्पील्टर कम बूस्टर की मदद से विभिन्न लाईटिंग इफेक्ट्स/कलर्स सेट किये जा सकते है। जैसे :–

1. मौके/शहर के मूड के अनुसार
2. त्यौहार जैसे होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस के अनुसार
3. उत्सव जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, बाल दिवस, जेडीए स्थापना दिवस, राजस्थान दिवस इत्यादि पर अलग अलग कलर तथा पेटर्न जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त को तिरंगा, विश्व बालदिवस पर ब्लू कलर लाईटिंग
4. मौसम/ऋतिु के अनुसार लाईटिंग
5. सप्ताह के अलग–अलग दिन जैसे सोमवार को अलग कलर मंगलवार को अलग कलर के साथ लाईटिंग

6. प्रतिदिन भी अलग–अलग समय पर अलग अलग कलर तथा अलग अलग पैटर्न के अनुसार लाइटिंग की जा सकेगी।

इसी तरह की लाईटिंग करने वाले देश के चुनिंदा शहरों जैसे मुम्बई, अमृतसर, अहमदाबाद, बैंगलोर के बाद जयपुर होगा। किन्तु इतने बडे एलीवेटेड रोड पर डायनिमिक फसाड लाईटिंग करने में हम सम्भवतः देश में प्रथम होंगे। जिसके के कारण यह स्थान पर्यटक एवं सैलानियों को आकर्षित करेगा तथा नाईट टूरिजम को बढावा मिलेगा एवं आने वाले टूयूरिस्ट शहर की अच्छी तस्वीर/यादे लेकर जायेंगे। शहर को ज्यादा वाईब्रेंट तथा बिजनस एवं प्लेजर के लिये एक अट्रेक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। इस पूरे कार्य में लगभग राशि रू 5.0 करोड का व्यय होगा।

भारत जोडो सेतु (हवा सडक एलीवेटेड रोड)

जयपुर शहर के बढते हुए यातायात के मद्धेनजर कराये गये सर्वे व विशेषज्ञों के आकलन एवं संबन्धित घटकों से विचार विमर्श के उपरान्त हवा सडक पर रूपये 250.00 करोड की लागत से एलीवेटेड रोड के निर्माण करने का निर्णय लिया गया।

अम्बेडकर सर्किल से अजमेर रोड तक जाने हेतु 3.5 किमी का एलीवेटेड कॉरीडोर उपलब्ध है। सोडाला से अम्बेडकर सर्किल पर आने के लिए रैम्प चम्बल पॉवर हाउस के तिराहे से 40 मीटर आगे से उपलब्ध है एवं यह एलीवेटेड कॉरीडोर गन्दे नाले से कुछ पहले उतारा गया है। इस भाग की लम्बाई 1.8 किमी है।

इस एलीवेटेड कॉरीडोर हेतु एकल पिलर सडक के मध्य विभाजक में 2.0 मीटर चौडाई में निर्मित किये गये हैं। दो पिलरों के बीच की ओसत दूरी 30 मीटर रखी गई है। दो लेन हेतु 8.5 मीटर एवं आने जाने हेतु 4 लेन वाले स्थानों में 17.0 मीटर की चौडाई में सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। एलीवेटेड रोड पर प्रत्येक तरफ के यातायात हेतु दो–दो लेन 3.5 मीटर चौडाई में रखी गई है। यह उच्च सडक वर्तमान सडक से ओसतन 10मीटर की ऊॅचाई पर है। अजमेर एलीवेटेड रोड पर इसके मिलान के स्थान के अलावा इस सडक पर रफ्तार 40 किमी प्रतिधण्टे की रखी गई है।

इस एलीवेटेड रोड पर अत्याधुनिक कम्प्यूटराईज्ड फसाड लाईटिंग की गई है जिससे कि इसके स्ट्रक्चर पर समय व मौके अनुसार विभिन्न रंगों व पेटर्नों की लाईटिंग संभव है। साथ ही इसके ऊपर लगाये गये स्ट्रीट लाईट पोल पर भव्य तिरंगा लाईटिंग की गई है।

इस महत्वाकांक्षी परियाजना से जयपुर के पूर्व –पश्चिमी यातायात जिसके लिए वर्तमान में सीमित सडकें ही उपलब्ध है हेतु एक नया कॉरीडोर उपलब्ध हुआ है एवं इस क्षेत्र व इसके आस पास के क्षेत्रों में यातायात में व्यापक सुधार देखने का मिला है।जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा दिनांक 06.10.2022 को किया गया एवं इसका नामकरण भारत जोडो सेतु किया गया है।

राजभवन में संविधान पार्क का निर्माण एवं अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य

राजभवन परिसर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संविधान पार्क का निर्माण व अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य सम्पादित किये गये हैं। इन कार्यों की आधारशिला दिनांक 26.01.2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय राज्यपाल, राजस्थान व माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के द्वारा रखी गई थी।

कार्य की आरम्भिक लागत राशि रू0 816.50 लाख थी लेकिन अन्य अतिरिक्त कार्यों का समावेश कर कार्य की वर्तमान लागत रू0 966.50 लाख हैं। यह कार्य जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पोषित हैं।

संविधान पार्क व सौंदर्यीकरण के तहत् निम्न प्रमुख कार्य करवाये गये :–

1. **राष्ट्रीय ध्वज स्तम्भ** :– परिसर मे 30 फीट ऊँचा राष्ट्रीय ध्वज का स्तम्भ स्थापित किया गया हैं। राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, की अभिकल्पना महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वैंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई, 1947 को आयोजित भारतीय संविधान–सभा की बैठक में अपनाया गया था।
2. **संविधान पार्क** :– इस कार्य के अर्न्तगत राजभवन परिसर में संविधान की किताब, संविधान सभा, संविधान की प्रारूप समिति, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के अन्तर्गत आमजन के मूल कर्तव्य एवं मूल अधिकार, संविधान निर्माण में महिलाओं का योगदान, संविधान सभा की मुख्य समितियां, संविधान सभा का मॉडल, राष्ट्र एवं राज्यों के संबंध, संविधान की सील, संविधान सभा, 1950 का छायाचित्र, संविधान के गठन में हुए संशोधन, आदि ऐतिहासिक तथ्यों एवं जानकारी को कई खण्डों में विभाजित कर विभिन्न स्टोन एवं गन मेटल की प्रतिमाओं एवं शिलालेखों को वॉकवे के पास स्थापित कर श्रव्य एवं दृश्य प्रभाव के माध्यम से प्रदर्शित किया गया हैं।
3. **प्रतिमाओं की स्थापना** :–
   (क) राजस्थान के गौरव एवं राजस्थानी आन, बान व शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का उनके प्रिय घोडे चेतक के साथ सफेद मार्बल मे प्रतिमा को विश्राम की स्थिति में स्थापित किया गया हैं।
   (ख) राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चरखा कातते हुए गन मेटल मे प्रतिमा को स्थापित किया गया हैं।
4. **राष्ट्रीय पक्षी मोर स्तम्भ** :– राजभवन परिसर की हरियाली एवं शान्त वातावरण में राष्ट्रीय पक्षी मोर निवास करते हैं। अतः इस संदर्भ में राष्ट्रीय पक्षी मोर के स्तम्भ को सफेद मार्बल मे स्थापित किया गया हैं।
5. **अन्य विकास कार्य** :– इसके अलावा संविधान पार्क में अन्य संरचनाओं के चारो तरफ खूबसुरत लैण्डस्केप गार्डन भी विकसित किया गया हैं। रात्री में पार्क की बेहतर सुन्दरता हेतु पार्क में दर्शित विभिन्न ऐतिहासिक चिन्हों, मूर्तियों, स्तम्भों इत्यादि को लाईट के माध्यम से भी उभारा गया हैं। इन सभी सौन्दर्यीकरण के कार्यो से संविधान पार्क व अन्य स्थल बेहतरीन रूप से प्रदर्शित हुए हैं।

संविधान पार्क को आमजन हेतु खोला जाना प्रस्तावित हैं। जिससे आगन्तुको को विश्व के सबसे विस्तृत संविधान संरचना के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं व उपलब्धियों से परिचित कराया जा सके तथा आने वाले विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन भी हो सके।

आमजन की सुविधा व बेहतर समझ हेतु संविधान पार्क में ऑडियो विडियो गाईड का प्रावधान भी किया गया हैं। जिसके तहत् आगन्तुक हेडफोन व अन्य स्क्रीनों की मदद से संविधान संरचना के विभिन्न पहलूओं के बारे में देख व सुन सकेंगे। इसके तहत् महान नेताओं के दिसम्बर, 1946 में आहुत संविधान सभा के भाषण सुनाये व दिखाये जा सकेंगे।

संविधान पार्क व अन्य सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2023 को किया जा चुका हैं।

जयपुर शहर के विभिन्न चौराहो पर यातायात सुधारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिये गये बजट घोषणा वर्ष 2020–21 बिन्दु सं. 152 के अनुसार ''जयपुर शहर में लगभग 700 करोड रूपये की लागत के विकास कार्य करवाये जायेगें। जिसमें

जयपुर की पारम्परिक स्थापत्य कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करते हुये सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। साथ ही शहर के 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक सिग्नल मुक्त किया जायेगा''। इसके अन्तर्गत निम्न स्थानो पर कार्य प्रगतिरत है।

(1) बी–2 बाईपास जंक्शन

इस कार्य के अन्तर्गत जयपुर शहर के मुख्य जंक्शन में बी–2 बाईपास जंक्शन को भी सम्मिलित किया गया है। बी–2 बाईपास जंक्शन टोंक रोड पर एक प्रमुख जंक्शन है जो कि दुर्गापुरा को सांगानेर, प्रतापनगर एवं सीतापुरा औधोगिक क्षेत्र से जोडता है। इसके अतिरिक्त यह जंक्शन होटल, वैवाहिक स्थल, व्यवसायिक क्षेत्र, हॉस्पिटल एवं हवाई अड्डो आदि स्थित है। वर्तमान में इस जंक्शन पर व्यस्ततम समय में ट्रैफिक जाम की बहुत बडी समस्या रहती है जिससे समय के साथ–साथ ईंधन की भी बर्बादी होती है। इस कारण बी–2 बाईपास चौराहें को जयपुर की पारम्परिक स्थापत्य कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए सौन्दर्यीकरण एवं ट्रैफिक सिग्नल मुक्त जंक्शन बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें जवाहर सर्किल से मानसरोवर की तरफ अण्डरपास एवं टोंक रोड पर बजरी मंडी एवं रामदास अग्रवाल तिराहे पर क्लोवर लीफ के निर्माण के साथ सब–वे, विधुतीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत राशि रू. 161.39 करोड है एवं कार्य जुलाई, 2023 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य पर वर्तमान में राशि रू. 21 करोड का व्यय हो चुका है।

(2) जवाहर सर्किल

इस कार्य के अन्तर्गत जयपुर शहर के मुख्य जंक्शन में जवाहर सर्किल को भी सम्मिलित किया गया है। जवाहर सर्किल जयपुर पर प्रतिदिन लगभग 2.00 लाख के मध्य वाहनों का अवागमन रहता है। जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यातायात को सुचारू रूप से आवागमन हेतु उक्त चौराहा को ट्रैफिक सिग्नल फ्री करने का निर्णय लिया गया। जिसमें पदयात्रियों एवं साईकिल सवार हेतु 03 सब–वे (प्रत्येक सब–वे में 10 दुकान का निर्माण) एवं एयरपोर्ट रोड के सामने मॉन्यूमेन्ट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त जवाहर सर्किल की बाहरी परिधि पर साईकिल ट्रैक, पार्किंग एवं सौन्दर्यीकरण के साथ विधुतीकरण के कार्य भी प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत राशि रू. 37.17 करोड है एवं कार्य जून, 2023 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य पर वर्तमान में राशि रू. 7.50 करोड का व्यय हो चुका है।

(3) आर.ओ.बी. (सिविल लाईन्स)

माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2020–21 के अंतर्गत स्वीकृत आर.ओ.बी सिविल लाइन्स जयपुर–दिल्ली एवं जयपुर–सवाई माधोपुर रेलमार्ग (रेलवे समपार फाटक संख्या 222) पर निर्माणाधीन है। यह फाटक जयपुर शहर के व्यस्ततम फाटको में से एक है। रेलवे के अनुसार इस फाटक पर टी.वी.यू. 14.00 लाख से अधिक है। यह फाटक 24 घंटे में 100 से अधिक बार बंद होता है एवं लगभग 14,000 व्हीकल हर बार एल.सी. खुलने के इंतजार मे खडे रहते है। जिनकी संख्या दिन में ओर ज्यादा रहती है, इतने सारे व्हीकल एक साथ कुछ मिनटों तक खडे होने के कारण उस एरिया में वायु ज्यादा प्रदुषित हो जाती है।

आर.ओ.बी. निर्माण से इस वायु प्रदुषण में कमी आयेगी। इस आर.ओ.बी के निर्माण से जैकब रोड़ से जमनालाल बजाज मार्ग का यातायात निर्बाध पास होता रहेगा। जिससे एल.सी. बंद होने की स्थिति में जैकब रोड़, जमनालाल बजाज मार्ग, परिवहन मार्ग एवं सवाई प्रताप मार्ग पर जाम होने वाला

यातायात सुगम हो जायेगा। परियोजना की अनुमानित लागत राशि रू. 75.05 करोड है एवं कार्य अक्टूबर, 2023 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर–सीकर रेल्वेलाईन पर वर्तमान झोटवाड़ा आर.ओ.बी. के समानान्तर नवीन तीन लेन आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य :–

नवीन तीन लेन झोटवाड़ा आर.ओ.बी. का निर्माण पंचायत भवन से लेकर अम्बाबाड़ी तक किया जा रहा है। झोटवाड़ा एवं आस–पास के क्षेत्र में आवागमन हेतु उपलब्ध वर्तमान ब्रिज की चौड़ाई कम होने के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है एवं निवासियों द्वारा नवीन आर.ओ.बी. की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उक्त कार्य की माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के द्वारा वर्ष 2016–17 के बजट में घोषणा की गई थी। परियोजना का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 02.07.2018 को किया गया था।

परियोजना की अनुमानित लागत राशि रू. 166.73 करोड है जिस पर आदिनांक तक लगभग राशि रुपये 81ण्20 करोड़ का व्यय हो चुका है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है एवं परियोजना का लगभग 73.00 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। परियोजना के कार्य को माह जून 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। कार्य सम्पादन हेतु वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए NCRPB से राशि रुपये 118. 87 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गयी है।

यह आर.ओ.बी. कालवाड़ रोड़ पर है, जो कि एक स्टेट हाईवे है और जयपुर को अनेक कस्बों से जोड़ता है। झोटवाड़ा क्षेत्र के करीब 5–6 लाख लोग इस परियोजना से लाभान्वित होगे। आर.ओ.बी. के निर्माण से झोटवाड़ा क्षेत्र के निवासियों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी एवं वर्तमान में यातायात जाम के कारण होने वाली असुविधा से राहत मिलेगी।

द्रव्यवती नदी पुनरोद्धार परियोजना

परिचय :–

- द्रव्यवती नदी नाहरगढ पहाडी से प्रारम्भ होकर 47.50 किलोमीटर लम्बाई में गोनेर के आगे ढूंढ नदी में मिलती हैं।
- परियोजना कार्य हेतु मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लि.–एसयूजीसी कन्सोरटियम को दिनांक 04.03.2016 को निर्माण कार्य हेतु रू. 1470.85 करोड व 10 वर्ष का रख–रखाव हेतु रू. 206.08 करोड सम्मिलित करते हुये कुल रू. 1676.93 करोड का कार्यादेश जारी किया गया है।
- कार्य प्रारम्भ करने एवं पूर्ण करने की निर्धारित तिथियां क्रमशः 11.04.2016 व 10.10.2018 थी।
- मौके पर भूमि की अनुपलब्धता, अतिक्रमण, न्यायिक वाद इत्यादि के कारण आंशिक भाग में कार्य अपूर्ण है।

वर्तमान प्रगति :–

- अब तक राशि रू. 1461.00 करोड़ का कार्य सम्पादित।
- 27 कि.मी. सीमेन्ट कंक्रीट चैनल व 9.85 कि.मी. पिचिंग द्वारा चैनल निर्माण पूर्ण।
- भू–जल संरक्षण हेतु 103 चैक डेम व पोरस कंक्रीट बैड का निर्माण।
- पर्यावरण उन्नयन एवं हरित क्षेत्र में वृद्धि हेतु लगभग 1 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल में तीन थीमबेस्ड बर्ड पार्क, लैण्डस्केप पार्क एवं बोटनिकल पार्क निर्मित कर आमजन के उपयोग हेतु खोले गये।

- परियोजना के बारे में जानकारी देने हेतु 2550 वर्गमीटर में पीईसी भवन का निर्माण।
- चैनल के दोनो ओर 5 मीटर चौडाई में वॉक–वे एवं साईकिल ट्रेक का निर्माण।
- नदी के दोनो ओर लैण्ड स्केपिंग एवं 17000 वृक्ष लगाये जायेगें।
- कुल 170 एमएलडी क्षमता के 5 सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट क्रियाशील किये गये।
- नदी के सहारे स्ट्रीट लाईट लगाते हुये 30 कि.मी. भाग में वाई–फाई, सर्विलेन्स कैमरा, पीए सिस्टम, वेरियेवल मैसेज साईनेज, ई–साईकिलिंग, इन्टरेक्टिव इंनफोरमेशन कियोस्क व पर्यावरण सेन्सर इत्यादि से स्मार्ट कॉरिडोर विकसित करने का कार्य प्रगति पर।
- वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश से प्रभावित लगभग 650 मीटर लम्बाई में चैनल कार्य, वॉक–वे, रेलिंग, दीवार व वृक्षारोपण आदि के कार्य शेष है।

परियोजना का वित्त पोषण :–

- एनसीआरपीबी नई दिल्ली से स्वीकृत ऋण राशि रू. 1098 करोड़ में से राशि रू. 1059 करोड प्राप्त।
- नदी के पुनरोद्धार कार्य से रीक्लेम होने वाली भूमि की प्लानिंग कर लगभग 65.35 हैक्टयर भूमि के बेचान से प्राधिकरण को लगभग रू. 1701 करोड़ की आय संभावित।

रामनिवास बाग भूमिगत पार्किंग फेज–II

चारदीवारी क्षेत्र में जाम की स्थिति को कम करने के लिए रामनिवास बाग में राशि रू. 94.95 करोड की लागत से दो मंजिला भूमिगत पार्किंग फेज–2 का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है। यह परियोजना **जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित** है।

परियोजना में उपलब्ध प्रमुख सुविधाऐ :–

1. पार्किंग क्षमता – 1530 ECUs
2. क्षेत्रफल – 49,680 वर्गमीटर (प्रत्येक तल की 24840 वर्गमीटर)
3. यूनीयन फुटबाल ग्राउण्ड के नीचे पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के उपरान्त फुटबाल ग्राउण्ड को रिस्टोर कर पुनः विकसित किया जाएगा।
4. प्रवेश/निकास रेम्प – 4
5. लिफ्ट एवं सिढ़ियाँ – 6
6. वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं एवं दिव्यांगो हेतु ऊपरी भूतल पर अलग से आरक्षित पार्किंग का प्रावधान किया जायेगा।
7. स्मार्ट पार्किंग टेक्नोलाजी– स्मार्ट पार्किंग सोल्यूशन के ''सेंसर पार्किंग'' करने हेतु दिशा–निर्देश एवं स्मार्ट कार्ड
8. विद्युत सब स्टेशन एवं डी.जी. सेट
9. फोर्स वेन्टिलेशन सिस्टम
10. फायर फाइटिंग सिस्टम
11. सी.सी.टी.वी. कैमरे पावर बेकअप के साथ
12. ड्राइवर हेतु प्रतिक्षा कक्ष एवं सुविधाऐं
13. सोलर सिस्टम (पावर बेकअप सिस्टम)

परियोजना की कुल लागत राशि रू. 83.25 करोड है एवं कार्य अगस्त, 2023 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य पर वर्तमान में राशि रू. 39.66 करोड का व्यय हो चुका है।

राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर :–

राज्य सरकार द्वारा ओ.टी.एस. के पास झालाना रोड़ पर 7.44 हैक्टर ESTI की भूमि पर राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर (RIC) दिल्ली में बने इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर की तर्ज पर बनाने का निर्णय लिया गया। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा 19 अप्रेल, 2013 को राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर का शिलान्यास किया गया। परियोजना की कुल लागत राशि रू. 130.00 करोड है।

प्रथम चरण में राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर के मुख्य भवन के स्ट्रक्चर निर्माण एवं बाह्य फिनिशिंग कार्य पूर्ण कर दिया गया है। राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर पर अब तक प्रथम चरण में लगभग राशि रू. 60.00 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

द्वितीय चरण के अन्तर्गत राजस्थान इन्टरनेशनल सेन्टर में आंतरिक साज–सज्जा एवं विद्युत संबंधित कार्य करवाया जा रहा है।

आंतरिक साज सज्जा एवं विकास कार्यो की निविदा प्राप्त कर राशि रू. 41.00 करोड का कार्यादेश दिया गया है। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय द्वारा आंतरिक साज सज्जा एवं विकास कार्यो का शिलान्यास 18 दिसम्बर, 2021 को किया गया। उक्त कार्य पर आदिनांक तक राशि रू. 33.77 करोड (लगभग 82 प्रतिशत) व्यय किए जा चुके है एवं कार्य 07 अप्रेल 2023 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है परन्तु कार्य को जनवरी 2023 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जा रहे है।

पृथ्वीराज नगर (उत्तर एवं दक्षिण) में सीवरेज कार्य

वर्तमान में जयपुर शहर का बाहरी क्षेत्र लगभग 38 प्रतिशत सीवर लाईन से वंचित है अतएव ऐसे क्षेत्रों को सीवर से जोडने के क्रम में पृथ्वीराज नगर (उत्तर एवं दक्षिण) में राशि रू. 738.65 करोड की लागत से सीवरेज कार्य करवाये जा रहे है। इसके अन्तर्गत प्रथम फेज में राशि रू. 250.00 करोड व्यय कर जून 2024 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

गोनेर रोड नाला, वन्दे मातरम रोड पर नाला निर्माण कार्य

जयपुर शहर में ड्रेनेज प्लान को सुदृढ करने हेतु गोनेर रोड एवं वन्दे मातरम रोड पर राशि रू. 142.00 करोड की लागत से नाला निर्माण कार्य करवाये जा रहे है जिन्हें अक्टूबर 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

नागरिक सेवा केन्द्र में दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक संचालित हो रही महत्वपूर्ण योजनाओं की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण :–

जयपुर विकास प्रधिकरण,जयपुर में नागरिकों को समय पर सुविधापूर्वक कार्य निस्तारण सेवा केन्द्र स्थापित है। जिसमें दिनांक 01.04.2022 से 31.12.2022 तक आमजन से विभन्न विषयों से सम्बन्धित कुल 660 ऑफलाईन एवं ऑनलाईन 34791 (कुल 35148) आवेदन पत्र प्राप्त हुए है, जिनमे से 409 ऑफलाईन एवं 26966 ऑनलाईन (कुल 27109) आवेदन पत्रों का निस्तारण किया गया है।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तगर्त अधिसूचित सेवाओं से सम्बन्धित दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक आमजन से कुल 241 ऑफलाईन एवं 34791 ऑनलाईन (कुल 35032) आवेदन प्राप्त हुए है, जिनमे से 123 ऑफलाईन एवं 26366 ऑनलाईन (कुल 27089) आवेदन पत्रों का निस्तारण नागरिक सेवा केन्द्र के माध्यम से किया गया।

पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में नियमन शिविरों का प्रगति विवरण :–

(दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.12.2022) तक वार्षिक प्रतिवेदन के संबंध में चाही गयी सूचना निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	जोन	अनुमोदित योजनाओं की संख्या	कुल जारी पट्टे	पट्टो से प्राप्त कुल राशि (राशि लाख रू. में)
1.	पीआरएन	33	19641	4908.63

प्रवर्तन प्रकोष्ठ की वर्षः 2022–2023 में दिनांकः 31.12.2022 तक की उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैः–

1. संस्थागत सुधारः–

प्रवर्तन शाखा में वर्तमान में एक व्यवस्थित पारदर्शी व जवाबदेही मैकेनिज्म खडा किया गया हैं मानवीय भौतिक संसाधनो का अधिकतम सदपयोग कर अतिक्रमण–अवैध निर्माण की प्राप्त शिकायतो का अविलम्ब विधिसम्मत मैरीट आधारित कार्यवाही कर निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा हैं; व्यवस्थित व उत्तरदायी कार्यप्रणाली की दृष्टि से जोनवाईज आवश्यक रजिस्टरो का संधारण; राउण्ड दी क्लॉक कन्ट्रोल रूम संचालन व संधारित पत्रावलियों पर बारकोड अंकित करवाया गया जिससे पत्रावलियों के मुवमेन्ट पर निगरानी रहती है; दैनीन्दन आधार पर नियमित निकट निर्देशन द्वारा शिकायतों व कार्यावाहियों का विधिसम्मत मेरिट आधारित त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। फलतः पीडीतो को अविलम्ब राहत एवं अतिक्रमण–अवैध निर्माण करने वाले भू–माफियाओं व बिल्ड़िंग माफियाओं पर वर्तमान में वाकई में प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ हैं।

2. अवैध फ्लेटस्/व्यावसायिक बिल्डिंग/डूपलेक्स इत्यादि के अवैध निर्माणों की प्रवृति पर प्रभावी अंकुशः–

दैनन्दिन आधार पर निकट प्रर्यवेक्षण द्वारा प्रभावी त्वरित विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित कर जविप्रा क्षेत्राधिकार में जीरो सैटबैकस् व बॉयलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर अवैध रूप से बनने वाले उपर्युक्त प्रवृति के फ्लैटस्/ व्यावसायिक कॉम्पलेक्स के बनने की प्रवृति पर प्रभावी सफल अंकुश स्थापित किया है। उक्त समीक्षाधीन अवधि में इस प्रकृति के **बडे**

अवैध फ्लेटस्/ व्यावसायिक कॉम्पलेक्स22 अवैध भवनों की बडी ध्वस्तीकरण व **115 डुपलेक्स ध्वस्तीकरणकी कार्यवाहियॅाकी गयी; 64 वृहद अवैध भवनों की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाहियॉ** की गयी। अन्य अवैध निर्माणों पर 321 ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी; अवैध निर्माणों के विरूद्ध जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 32–33 के अन्तर्गत कुल 1076 नोटिस जारी किये गये।इससे जविप्रा क्षेत्राधिकार में अनियमित अवैध निर्माण की प्रवृति व रैवेन्यू की क्षति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ है।

3. **<u>अभियान के रूप में सरकारी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा हैः–</u>**

सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण व कब्जे के मामलों में "Zero Tolerence" की नीति अपनाकर त्वरित प्रभावी कार्यवाही कर ऐसे अवैध अतिक्रमणों व कब्जों को ध्वस्त–हटाया जाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। **समीक्षाधीन अवधि में लगभग 372.5 बीघा सरकारी भूमि** को अवैध अतिक्रमण–कब्जामुक्त करवाया गया;जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 72 के अन्तर्गत कुल 644 नोटिस जारी किये गये।

4. **<u>कदीमी पुराने बन्द आम रास्तो को खुलवायाः–</u>**

जयपुर शहर के आस–पास के गांवो के क्षेत्र में पुराने कदीमी वर्षो से गैर मुमकिन आम रास्तो पर अतिक्रमण कर आमजन के आवागमन से बन्द/बाधित किया हुआ था। आम रास्तो पर अतिक्रमणों से आमजन को आवागमन में भारी बाधा उत्पन्न हो रही थी। प्रवर्तन शाखा के द्वारा आमजन को भारी राहत प्रदान करने की दृष्टि से आम रास्तो के अतिक्रमणों को प्राथमिकता पर लेकर त्वरित प्रभावी कार्यवाहियां कर आम रास्तो के अतिक्रमणों को हटाया गया। प्राप्त शिकायतो पर प्रवर्तन शाखा द्वारा तत्परता से संज्ञान लेते हुये संबंधित उपायुक्त कार्यालयों की राजस्व टीमो को साथ लेकर आम रास्तो के अतिक्रमणों को चिन्हित् करवाया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा अविलम्ब प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही धारा 72 जेडीए एक्ट के अन्तर्गत अतिक्रमियों को नोटिस जारी कर उनसे प्राप्त जवाबो का विधिक परीक्षण करवाकर जोन राजस्व टीमो की निशादेही पर स्थानीय पुलिस से ईमदाद प्राप्त कर आम रास्तो को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। **वर्षः 2022 में रिकॉर्ड संख्या में 46 आम–रास्तो से अतिक्रमणों को हटाया जाकर आमजन को भारी राहत पहुॅचायी है** तथा जविप्रा की कार्यप्रणाली का जनता में सकारात्मक संदेश जा रहा है। पूर्व में इक्के–दुक्के मामलो में ऐसा होता था।

5. **<u>नवीन अवैध कॉलोनियों का ध्वस्तीकरणः–</u>**

जविप्रा क्षेत्राधिकार में जविप्रा की बिना सक्षम स्वीकृति व अनुमोदन के काटी गई अवैध कॉलोनियों में "Zero Tolerence" की नीति अपनाते हुए त्वरित, प्रभावी, विधिसम्मत कार्यवाही कर ध्वस्तीकरण किये गये। **समीक्षाधीन अवधि में ऐसी कुल 292 अवैध कॉलोनियों**

का ध्वस्तीकरण किया गया। इससे अनियमित व अनियोजित विकास व राज्य सरकार/जविप्रा को रैवेन्यू की क्षति पर अंकुश की स्थिति बनी है।

6. राजस्व अर्जन में प्रवर्तन शाखा की महती भूमिकाः–

- सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण के मामलों, गंभीर प्रकृति के वृहद अवैध फ्लेटस्/व्यावसायिक कॉम्पलेक्स/व्यावसायिक प्रयोजनार्थ विलाज के अवैध निर्माणों व नवीन अवैध कॉलोनियों के प्रति "Zero Tolerence" की नीति के तहत प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाहियॉ की जाकर वर्तमान में इन पर प्रभावी अंकुश स्थापित किया गया है। इसके फलस्वरूप वर्तमान में ऐसे वृहद निर्माण व नवीन कॉलोनियॉ जविप्रा से नियमानुसार स्वीकृति/अनुमोदन के पश्चात ही बन रहे हैं। साथ ही सरकारी भूखण्डों/भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करने से जविप्रा को नीलामी में भारी राजस्व की प्राप्ति हुई है।
- अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण में लगे जविप्रा के संसाधनों के खर्चे की रिकवरी संबंधित अतिक्रमियों से की जाने की प्रभावी शुरूआत की गयी। इस समीक्षावधि में अतिक्रमियों से 55471/–रू. की वसूली की जाकर जविप्रा कोष में जमा करवाई गयी तथा 447591/–रू. की वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- इसी प्रकार जो पूर्व में लगभग बंद अवैध निर्माण में प्रयुक्त औजार–सामान की जब्ती पर बेचान पेटे 272341/–एवं जुर्माना पेटे 73500/–की राशि जविप्रा कोष में जमा कराई गयी है।

7. वृहद अवैध निर्माणों की निष्पक्ष, पारदर्शी, नीतिगत आधार पर पुख्ता सीलिंग व डीसीलिंग की कार्यवाहीः–

- अवैध बिल्डिंगस् की पहले सीलिंग की कार्यवाही एक रस्सी बांधकर की जा रही थी, जिसको अवैध निर्माणकर्ता हटाकर अवैध निर्माण पूरा किये जाकर रहवास/व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालन आसान से की जा रही थी। सैटबैक्स व बॉयलॉज के गंभीर प्रकृति के वॉयलेशन, ध्वस्तीकरण के संबंध में विधिक अडचनों की स्थिति में ही अन्तिम विकल्प के रूप में अब इन्जीनियरिंग विंग की सहायता से प्रवेश द्वारों को चुनवाकर पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है, ताकि आसानी से सील नहीं तोडी जा सके व तोडने पर सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुचाने के संबंध में संज्ञान व अजमानतीय धाराओं में संबंधित के विरूद्ध कडी प्रभावी कार्यवाही की जा सके। इससे इस प्रवृति पर प्रभावी अंकुश स्थापित हुआ है।
- डीसीलिग हेतु नवीन भवन विनियम–2020 व राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांकः15.4. 2021 के कम में एस.ओ.पी. आदेश कमांकः डी–1682, दिनांकः 12.10.2021 जारी किया गया हैं। जिसके अनुसार अवैध बिल्डिंग मालिक द्वारा बिल्डिंग का नियमानुसार नक्शा अनुमोदन

करवाकर नियमानुसार राशि जविप्रा कोष में जमा करवाने तथा अवैध निर्माण को हटाने की अवधि तक राउण्ड–द–क्लॉक में गार्ड नियुक्ति की राशि जमा करवाने पर डीसिलिंग की कार्यवाही की जा रही हैं।

8. <u>माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डी.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 7688/2019 सुओमोटो बनाम राज्य सरकार व अन्य में जारी आदेशों की अनुपालना में की गई कार्यवाहीः–</u>

- **अब तक सहकारी समितियों की 111 आवासीय कॉलोनी की सडक सीमा से 1618 अवैध अतिक्रमणों को हटाया जाकर रोड सीमाओं को अतिक्रमण मुक्त किया गया।**
- **जयपुर शहर के 37 मुख्य मार्गो** यथा–(1)बाईस गोदाम पुलिया से हवा सडक होते हुए मुख्य अजमेर रोड 200′ बाईपास चौराहे तक करीब 5 किमी सडक के दोनों तरफ, (2) रंगोली गार्डन से महाराणा प्रताप मार्ग 60′ सेक्टर रोड करीब 2 किमी तक, (3) मुख्य सीकर रोड करीब 6 किमी तक चौमू पुलिया सर्किल से 14 नम्बर रोड एक्सप्रेस हाईवे तक सडक के दोनो तरफ, (4) मुख्य रोड राममन्दिर सर्किल 22 गोदाम पुलिया से करीब 5 किमी गोपालपुरा बाईपास तक, (5) मुख्य रोड महारानी गार्डन रोड से वन्दे मातरम रोड तक मांग्यावास रोड, (6) मुख्य रोड अक्षय पात्र से गोनेर रोड निलयकुंज योजना तक सडक के दोनों तरफ, (7) मुख्य रोड बिदाणी चौराहे से चौखी ढाणी तक सडक के दोनों तरफ (8) महेश नगर में 80′ मुख्य रोड से बैराठी नगर कॉलोनी से सेन कॉलोनी प्रथम के मध्य से लेकर महावीर नगर विस्तार कॉलोनी तक 03 किमी. तक,(9) जे.एल.एन मार्ग झालाना टी पाईन्ट से आर.टी.ओ कार्यालय के सामने से होकर जगतपुरा रोड तक सडक के दोनो तरफ 02 किलोमीटर तक, (10) निलय कुंज योजना, गोनेर रोड़ से जगदीश जी महाराज के मन्दिर तक करीब 02 किलोमीटर तक मुख्य रोड़–आम रास्ते के दोनो तरफ, (11) महात्मा गांधी से लेकर नये ओवरब्रिज से रामजचन्द्रपुरा नहर तक करीब 01 किलोमीटर तक(12) मुख्य दिल्ली रोड ट्रान्सपोर्ट नगर से आमेर ग्राम–कुण्डा तक करीब 08 किलोमीटर तक मुख्य रोड़–आम रास्ते के दोनो तरफ(13) निवारू मुख्य रोड पर करीब 01 किलोमीटर तक सडक के दोनो तरफ (14) गोपालपुरा बाईपास रोड से किसान धर्म कांटा 200 फीट चौराहे अजमेर रोड तक करीब 03 किलोमीटर तक (15)जैन फैन्सी स्टोर गोनेर रोड से गुर्जरो की ढाणी तक करीब 1 किलोमीटर तक(16) विधाधर नगर बियानी कॉलेज से सीकर रोड से लगते हुये केसरी मोबाईल पॉईन्ट रोड़ नं. 01 सर्किल तक सडक के दोनो तरफ। (17) मंदिर मोड से नेशनल हेडलूम, दाना शिवम शेखावाटी अस्पताल से विधाधर नगर थाने तक सडक के दोनो तरफ। (18) सेक्टर नं. 03 में रावणराजपूत से ज्योतिबाफुले राष्टीय संस्थान तक 60 फीट रोड़ के दोनो तरफ। अवैध मुख्य रोड सीमाओं के अतिक्रमणों को हटवाया जाकर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। (19) जेएलएन मार्ग, रामनिवास बाग के दक्षिण द्वार से लेकर एस.एम.एस हास्पिटल, जे.के.लॉन हॉस्पिटल, त्रिमुर्ति सर्किल, बिडला मंदिर जेडीए चौराहा, राजस्थान युनिवर्सिटी सामने होते हुये गांधी सर्किल, बजाज नगर

मोड, जवाहर सर्किल के चारो तरफ, एयरपोर्ट तक रोड़ सीमा के दोनो तरफ। (20) जनपथ रोड़ टोंक रोड़ से सहकार मार्ग तक मुख्य रोड़ पर रोड़ सीमा के दोनो तरफ। (21) करतारपुरा फाटक से टैगोर नगर, 80 फीट रोड़, महेश नगर तक करीब 02 किलोमीटर तक।(22)जविप्रा/सहकार मार्ग टोंक रोड़, ज्याति नगर पुलिस थाने से लालकोठी शापिंग सेन्टर, सब्जी मण्डी तक। (23)जविप्रा/करतारपुरा पुलिया से करतारपुरा फाटक तक करीब 01 किलोमीटर तक। (24) राम मंदिर सिविल लाईन से बाईस गौदाम की तरफ एलेवेटेड रोड के नीचे सडक सीमा में। (25)मुहाना मोड से डिग्गी रोड मुहाना मण्डी तक करीब 01 किलोमीटर तक।

- **09 सार्वजनिक पार्को व 08 सुविधा क्षेत्रों** में किये गये अवैध अतिक्रमण को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

9. समीक्षाधीन अवधि में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त जनसुनवाई व सीएमआईएस प्रकरण; माननीय मंत्री, नगरीय विकास व उच्चाधिकारियों से प्राप्त शिकायतों; राजस्थान सम्पर्क पोर्टल प्रकरण; विधानसभा प्रकरण; लोकायुक्त व न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों का समय पर निस्तारण किया गया।

प्रवर्तन शाखा का संगठन एवं अवैध निर्माण व अतिक्रमण के विरूद्ध की गई कार्यवाही का विवरणः—

प्रवर्तन शाखा का संगठनः—

- जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना 05 अगस्त, 1982 में हुई। तत् समय अवैध निर्माण व अतिक्रमणों पर कार्यवाही किये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत एक प्रवर्तन शाखा की स्थापना की गई; इस शाखा में प्रवर्तन संबंधी शिकायते प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने हेतु कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई।
- प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण रोकने व प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उददेश्य से वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन क्षेत्र जोन—01 से 14 पीआरएन—उत्तर व दक्षिण में विभक्त किये गये हैं।
- प्रवर्तन प्रकोष्ठ में एक पुलिस अधीक्षक, एक मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक), 04 उप नियंत्रक प्रवर्तन (पुलिस उप अधीक्षक) 16 प्रवर्तन अधिकारी, 01 सब इंस्पेक्टर एवं (06 हैड कानि0 व 29 कानि. सी.आई.डी. (सीबी.) द्वारा अटैचमेन्ट) के पद सृजित हैं। उक्त समस्त अधिकारियों के कार्यालयिक कार्य में सहायतार्थ कनिष्ठ सहायक/सहायक/क्षेत्र सहायक जविप्रा से लगाये जाते हैं। **वर्तमान में प्रवर्तन शाखा में एक मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, 03 उप नियंत्रक प्रवर्तन, 12 प्रवर्तन अधिकारी, (10 पुलिस निरीक्षक एवं 02 जविप्रा सेवा), 04 क्षेत्र सहायक, 01 कनिष्ठ विधि अधिकारी, 01 वरिष्ठ सहायक (स्टोर कीपर), 02 हैड कानि. एवं 16 कानस्टेबल पदस्थापित है।**

प्रवर्तन प्रकोष्ठ का कार्य सम्पादनः–

- जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जविप्रा के क्षेत्राधिकार में अवैध निर्माण व सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु आमजन की शिकायत दर्ज करवाने हेतु एक कन्ट्रोल रूम (24 घन्टे लगातार प्रतिदिन) स्थापित किया हुआ हैं; जिसके दूरभाष नम्बर 2575151, 2575225, 2565800 के माध्यम से प्राप्त शिकायतो पर यथासम्भव त्वरित गति से विधिसम्मत कार्यवाही की जाती हैं।
- जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र को 18 जोन (जोन संख्या 1 से 14 व पीआरएन–नॉर्थ एवं पीआरएन–साउथ) में विभाजित किया हुआ हैं; प्रत्येक जोन से अवैध निर्माण एवं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने हेतु एक प्रवर्तन अधिकारी का पदस्थापन किया गया हैं; प्रवर्तन अधिकारियों की सहायतार्थ 02 जेसीबी मशीन एवं 18 पुलिसकर्मी (02 हैड कानि. व 16 कॉन्स्टेबल) सी.आई.डी. (सी.बी.) द्वारा अटैचमेन्ट पर उपलब्ध कराये गये एवं अनुबंधित फर्मो से 40 गार्ड एवं 29 लेबर उपलब्ध हैं।
- प्रतिदिन प्राप्त शिकायतो के लिए जविप्रा के प्रवर्तन प्रकोष्ठ में स्थापित कन्ट्रोल रूम 24 घन्टे कार्यरत रहता हैं एवं राजपत्रित अवकाशो में 01 उप नियंत्रक प्रवर्तन, 02 प्रवर्तन अधिकारी व 02 क्षेत्र सहायक प्राप्त शिकायतो के निस्तारण हेतु उपलब्ध रहते हैं।
- अवैध निर्माण/अवैध व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा जोन भ्रमण के दौरान जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल ही जविप्रा अधिनियम की धारा 32, 33, 72 तथा आवश्यकता अनुसार 34(क) का नोटिस जारी कर विधिसम्मत आधार पर ध्वस्तीकरण सीलिंग अथवा चालान की कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाऐं

जविप्रा में सूचना तकनीकी एवं प्रोद्योगिकी के माध्यम से कार्य को शीघ्र निस्तारण हेतु विभिन्न पद्धतियों का विकास कर संचालन किया जा रहा है। कुछ प्रमुख पद्धति निम्नलिखित हैः–

1. जविप्रा की वेबसाईट

J.D.A Website (www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

जविप्रा वेबसाईट के माध्यम से आमजन को अद्यतन सुचनाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। जविप्रा की अधिकृत वेबसाईट पर मुख्य कार्यप्रणाली से सम्बन्धित दस्तावेज अविलम्ब प्रदर्शित किये जाते है। वेबसाईट पर कुछ अंश Static एवं कुछ Dynamic है। Dynamic Section पर सुचना स्वतः अद्यतन रहती है। आमजन हेतु प्रकरणों की सम्पूर्ण जानकारी वास्तुस्थिति के अनुरूप अद्यतन की जाती है जो कि एक स्वतः प्रक्रिया के तहत संधारित की जाती है।

2. सेन्ट्रलाईज प्रॉपट्रीज रिसोर्स मैनेजमेन्ट सिस्टम

Centralized Property Resource Management System (CPRMS)

जविप्रा क्षेत्र में सृजित आवासीय एवं सोसाईटी/निजी क्षेत्र की योजनाओं का ब्यौरा एवं साथ ही ले–आउट प्लान को स्केन किया जाकर वेबसाईट के माध्यम से नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराई जाती है। अनुमोदित योजनाओं से संबन्धित प्रॉपर्टी की जानकारी का एकल संग्रह किया जाता है साथ ही अलोटमेन्ट लेटर, पजेशन लेटर एवं पट्टा, नाम हस्तान्तरण से संबंधित दस्तावेजो को स्कैन किया जाता है। नागरिकों/आवंटी हेतु उक्त जानकारी का ब्यौरा जविप्रा वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। इस सिस्टम के तहत आवंटी द्वारा जमा कराये गये राशि का ब्यौरा वेबसाईट के माध्यम से भी उपलब्ध है।

3. **नई आवासीय योजनाओं का ऑनलाईन पंजीयन**

   Scheme E-Registration

   जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा फरवरी 2014 के उपरान्त सभी नई आवासीय योजनाओं एवं फ्लैट्स हेतू पूर्णतय ऑनलाईन माध्यम से आवेदन प्राप्त किये गये। इस प्रक्रिया में पंजीयन राशि ऑनलाईन एवं ईमित्र केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त किये गये। आवेदकों को एक ही आवेदन के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में आवेदन हेतू सुविधा प्रदान कि गई। आवेदन की सम्पूर्ण जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित कि गई जिसके माध्यम से आवंटन के उपरान्त दिये जाने वाले दस्तावेज भी ऑनलाईन माध्यम से ही उपलब्ध करवाये गये।

   असफल आवेदकों को राशि की वापसी इलैक्ट्रोनिक माध्यम से लॉटरी ड्रा निकाले अगले दिन आवेदक के सम्बन्धित खाते में रिफण्ड राशि हस्तान्तरित की गई। दस्तावेज और डिमांड नोटिस ऑनलाईन आवेदकों को उपलब्ध कराये गये। आवेदकों को एसएमएस द्वारा विभिन्न जानकारियां आवंटन एवं अन्य कार्यों के लिए उपलब्ध करायी गई।

4. आमजन हेतु ऑन लाईन के माध्यम से सेवाओ का संचालन

   Citizen Online Applications

   a) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 90–ए की सेवाओं को दिनांक 16.04.2019 की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णतया ऑनलाईन के माध्यम से चालू किया जा चुका है। यह पोर्टल सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित है।

   b) भवन मानचित्र अनुमोदन की सेवाओं को दिनांक 03.05.2019 की संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्णतया ऑनलाईन के माध्यम से चालू किया जा चुका है। भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु आवेदक को मानचित्र को मापदण्डों के अनुसार बनाया जाकर पूर्व जॉच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह पोर्टल सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित है।

   c) टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित सेवा जिसकी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन है को जयपुर विकास प्राधिकरण में लागू किया जा चुका है।

d) जविप्रा द्वारा विकसित पोर्टल में योजनाओं में नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन की संपूर्ण प्रक्रिया आमजन हेतु दिनांक 19.02.2019 से पूर्णतया ऑनलाईन चालू की जा चुकी है।

e) जविप्रा द्वारा विकसित पोर्टल में लीज मुक्ति प्रमाण पत्र की संपूर्ण प्रक्रिया आमजन हेतु दिनांक 19.02.2019 से पूर्णतया ऑनलाईन चालू की जा चुकी है।

f) जविप्रा द्वारा विकसित पोर्टल में दिनांक 27.11.2019 से नया लीजहोल्ड लीजडीड (पट्टा)/फ्री–होल्ड (पट्टा) हेतु ऑनलाईन आवेदन एवं जारी करने का समस्त कार्य पूर्णतया ऑनलाईन आरम्भ किया जा चुका है।

g) जविप्रा द्वारा विकसित पोर्टल में भूखण्ड का उप–विभाजन एवं पूर्णगठन की संपूर्ण प्रक्रिया आमजन हेतु दिनांक 09.06.2020 से पूर्णतया ऑनलाईन चालू की जा चुकी है।

h) जविप्रा द्वारा विकसित पोर्टल में दिनांक 21.12.2021 से लीजहोल्ड लीजडीड (पट्टा) के एवज में फ्री होल्ड (पट्टा) हेतु ऑनलाईन आवेदन एवं जारी करने का समस्त कार्य पूर्णतया ऑनलाईन आरम्भ किया जा चुका है।

i) जविप्रा द्वारा संचालित पोर्टल में ई–नीलामी से संबंधित कार्य राज्य सरकार के नवीन आदेशोंनुसार संशोधित कर प्रारम्भ किया जा चुका है। राज्य के समस्त प्राधिकरण एवं नगर विकास न्यास के लिए भी ई–नीलामी संबंधित कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण के पोर्टल के माध्यम से किये जाने की सुविधा प्रारम्भ किया जा चुका है।

j) सामुदायिक केन्द्रों की ऑनलाईन बुकिंग प्रारम्भ करना:–
Online Booking of Community Center

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 14 सामुदायिक केन्द्रों की ऑनलाईन बुकिंग की जा रही है। बुकिंग राशि का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से जमा कराये जाने की सुविधा प्रदान है। सामुदायिक केन्द्र की सम्पूर्ण जानकारी मय चित्र एवं गूगल के माध्यम से पहुचे जाने का रास्ता भी उपलब्ध है। उपयोग या निरस्त के उपरान्त शेष राशि का भुगतान भी ऑनलाईन माध्यम से किया जा रहा है। उपयोगकर्ता को एसएमएस द्वारा विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करायी जाती है।

5. ऑन लाईन भुगतान
(Online Payment)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनसाधारण को बकाया भुगतान हेतु ऑन लाईन भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवायी गयी है। उक्त सुविधा के तहत आमजन को भुगतान हेतु जविप्रा परिसर मे आने की अनिवार्यता को आसान करते हुये इन्टरनेट बैकिंग के माध्यम से किये जाने का माध्यम वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रार्थी को अपना पंजीयन करवाना पड़ता है। इसके उपरान्त उन्हे अपना Log-in User एवं Password उपलब्ध कराया जाता है। भुगतान हेतु प्रार्थी द्वारा वेबसाईट पर चालान भरा जाता है एवं दर्शाये गये

मदों पर राशि भरनी होती है। इस चालान को भरने के उपरान्त भुगतान हेतु बैंक का चुनाव करना होता है। इन्टरनेट के माध्यम से ये भरी गई सूचना बैंक को प्रेषित की जाती है। प्रार्थी को इन्टरनेट के माध्यम से उक्त भुगतान को जविप्रा के खाते मे जमा कर लिया जाता है। जविप्रा के खाते मे राशि जमा होने के उपरान्त प्रार्थी को प्राप्ति 'ई' चालान के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। प्रार्थी भविष्य मे इस सुविधा के माध्यम से पुनः राशि जमा करवा सकता है, तथा जमा की गयी राशि का विवरण भी प्राप्त कर सकता है।

6. **प्रोजेक्ट मोनिटरिंग सिस्टम (इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट)**

Project Monitoring Information System (PMIS)

जविप्रा द्वारा ई–गवर्नेंस क्षेत्र में कई प्रकार के कार्य किये जा रहे है। इसी कड़ी में जविप्रा द्वारा कराये जा रहे विकास कार्यों का सम्पूर्ण ब्यौरा एक सिस्टम जिसे **प्रोजेक्ट मोनिटरिंग इन्फोरमेंशन सिस्टम** का नाम दिया गया है, को स्थापित किया जा चुका है। जविप्रा के इन्फोरमेंशन टेक्नोलोजी विभाग द्वारा स्थापित किये गये इन्फोरमेंशन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इस सिस्टम को सफलता पूर्वक चलाया जा रहा है। अब तक यह सूविधा केवल जविप्रा परिधि में उपलब्ध थी जिसे कि हाल ही में इंटरनेट के माध्यम से कही पर भी किसी भी समय कार्य हेतु उपलब्ध करवाया जा चुका है। इस सुविधा से समय की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए एवं कार्यों को त्वरित गति से सम्पादन करने हेतु अधिकारियो को उक्त सुविधा से लाभ प्राप्त हो रहा है। इस कार्य प्रणाली में कार्य का प्रतिस्थापन इसी सिस्टम में निम्न स्तर दर्ज किया जाकर उच्चतम स्तर द्वारा सारी प्रक्रिया पूर्ण करते हुए विकास कार्यों को अनुमोदित किया जाता है। इस कार्य प्रणाली द्वारा अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ द्वारा किये जा रहे कार्यो का सम्पूर्ण ब्यौरा एकजाही होने के फलस्वरूप कार्यों की समीक्षा एवं अनुमोदन के दौरान लंबी प्रकिया को त्वरित गति से किये जाने के कारण विकास कार्यों को गति मिल रही है।.

7. **नागरिक सेवा केन्द्र**

Citizen Care Centre (CCC)

जविप्रा द्वारा नागरिक सेवा केन्द के माध्यम से 15 सेवाओं का संधारण एवं निस्तारण की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है। जिनके आवेदन की ताजा स्थिति आवेदक को ऑनलाईन निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई जा रही है :–

- जविप्रा वेबसाईट द्वारा एवं
- आवेदक का कार्य पूरा होने पर यदि आवेदक ने अपना मोबाईल नम्बर दे रखा हो तो उसे जविप्रा द्वारा एस.एम.एस. द्वारा सूचित किया जाता है।
- नागरिक सेवा केन्द्र जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित प्रत्येक कार्य को समयबद्ध पारदर्शी रूप से एक खिडकी तर्ज पर कम्प्यूटराईज्ड करते हुए प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से नागरिक सेवा केन्द्र की स्थापना कर आमजन को ऑन/ऑफलाईन सेवाऐं उपलब्ध करवाई जा रही है।

8. **डॉक्यूमेंट ट्रेकिंग सिस्टम**

Document Tracking System (DTS)

जयपुर विकास प्राधिकरण में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, जनप्रतिनिधि एवं राजकीय उपक्रम एवं प्रतिष्ठानो से प्राप्त पत्रों के प्रभावी निस्तारण हेतु डॉक्यूमेन्ट ट्रैकिंग सिस्टम में नवीन व्यवस्था को लागू किया गया है। यह व्यवस्था सूचना एवं प्रौद्योगिक तंत्र की सहायता से प्रभावी रूप से लागू की गयी है। इस सिस्टम के तहत मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय, शहरी आवास विकास मंत्री कार्यालय, शहरी आवास विकास विभाग, राज्य सरकार, लोकायुक्त, जनप्रतिनिधि, सांसद एवं विधायक, एवं राज्य सरकार के संस्थान एवं कार्यालय से प्राप्त पत्र दर्ज किये जाते है। राज्य सरकार के अतिरिक्त केन्द्र सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभागों के पत्र भी दर्ज किये जाते है।

इस प्रणाली के तहत दर्ज समस्त पत्रों की मूल प्रति एवं इलेक्ट्रोनिक प्रति समन्वय प्रकोष्ठ द्वारा संबंधित प्रभारी अधिकारी के पास सीधे ही भिजवा दी जाती है जिन्हे कि भविष्य मे संबंधित प्रकरण के Case Owner की संज्ञा दी जाती है। प्रकरण के समयावधि में निस्तारण के लिए संबंधित प्रभारी अधिकारी जिम्मेदार रहते है।

संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रत्युत्तर उचित माध्यमों द्वारा अनुमोदन के उपरान्त मूल स्वरूप मे संबंधित विभाग को भिजवाया जाता है। साथ ही प्रकरण मे हो रही गतिविधि को इलेक्ट्रानिकली इस प्रणाली मे दर्ज किया जाता है।

डी.टी.एस. प्रणाली पूर्णतः कम्प्युटरीकृत है जिसका संचालन प्रभारी अधिकारियों द्वारा स्वयं किया जाता है। इस प्रणाली मे सभी प्रकार की रिपोर्टस तैयार किया जा सकता है जिसमे की मुख्यतः प्रभारी अधिकारी की इकजाई निस्तारित/लम्बित प्रकरणों की संख्या एवं विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहती है। पूर्ण डी.टी.एस. प्रणाली मे दर्ज मे प्रकरणों की वास्तविक स्थिति एक बटन क्लिक पर उपलब्ध रहती है। लम्बित प्रकरणों की उपलब्ध सूची द्वारा निस्तारण प्रकिया को प्रभावी ढंग से लागू करने मे सहायता प्रदान करती है।

9. **फाईल ट्रेकिंग सिस्टम**

File Tracking System (FTS)

जविप्रा द्वारा फाइल ट्रेकिंग सिस्टम दिनांक 01.09.2011 से लागू कर दिया गया है। जिसमें कम्प्यूटर प्रकोष्ठ द्वारा बारकोड जारी किये जाते है। यह बारकोड जविप्रा की प्रत्येक फाईल पर पृथक–पृथक लगाया जाता है। फाइल ट्रेकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से जविप्रा की फाईलों का संचालन सुगमता से किया जा रहा है।

10. **निविदाओं में भागीदारी हेतू पूर्णतया ऑनलाईन :–**

e-Tender

निविदादाताओं को पंजीयन के उपरान्त निविदाओं में भाग लिये जाने हेतू यूजर पासवर्ड उपलब्ध करवाये जाते है। निविदा दाता को निविदाओं हेतू जमा कराई जाने वाली राशि हेतू ऑनलाईन की सुविधा उपलब्ध है जिसके तहत भुगतान हेतू प्रथक से कार्यालय में उपस्थित होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। निविदा प्रक्रिया पूर्णतया कम्प्युटरीकृत कर पारदर्शिता बनाया गया है। निविदा में असफल घोषित किये जाने के उपरान्त निश्चित समय अवधि में निविदा दाता को भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से भिजवा दिया जाता है।

भुगतान प्राप्त होने के पश्चात निविदादाताओं को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जाती है जिसका उपयोग करते हुए निविदादाता राजस्थान सरकार के ई–टेन्डर पोर्टल (eproc.rajasthan.gov.in) पर ऑनलाईन निविदा में भाग लेता है।

11. **जविप्रा कार्यालय में वाई–फाई एवं विडियों सर्विलेंसः–**

Facility of Wi-Fi & Video Surveillance

जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रधान कार्यालय एवं मानसरोवर एवं चित्रकूट स्थित पृथ्वीराज नगर कार्यालय में वाई–फाई एवं विडियो सर्विलेंस सिस्टम स्थापित किया जा चुका है।

12. **वीडीयो कॉन्फ्रेसिंग द्वारा मिटिंग का आयोजन**

Meeting through Video Conferencing

जयपुर विकास प्राधिकरण में स्वयं के कक्ष में बैठ कर मिंटिग में सम्मिलित की सुविधा स्थापित की जा चुकी है।

संस्थागत भूमि आवंटन की वर्ष 2022–23 की सूचनाः–

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को 20 स्थानों पर उच्च जलाशयों हेतु भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 10 राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्रों को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
- पशु चिकित्सालय हेतु 9 स्थानों पर व पशु चिकित्सा उप केन्द्र 16 स्थानों पर भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 5 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 4 राजकीय महाविद्यालय, 2 नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय को भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 30 ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केन्द्र, शमशान घाट व विभिन्न कार्य हेतु भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
- दिल्ली रोड़, अजमेर रोड़, टोंक रोड़, आगरा रोड़ चारों दिशाओं में बस टर्मिनल को भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

- दिल्ली रोड़, अजमेर रोड़, टोंक रोड़, आगरा रोड़ चारों दिशाओं में सेटेलाईट अस्पताल व 1 आयुर्वेदिक औषधालय को भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
- उप तहसील बगरू को कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण हेतु भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
- नवसृजित पुलिस थाना जयसिंहपुरा खोर जयपुर उत्तर हेतु भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।
- नवीन कृषि उपज मंडी बगरू, राजकीय आई.टी.आई. बगरू जयपुर की स्थापना हेतु भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।

<u>लैण्ड बैंक द्वारा वर्ष 2022–23 में किये गये कार्यो की प्रगति रिपोर्ट</u>

- जविप्रा के नाम दर्ज लगभग 88,000 खसरों का क्षेत्रफल लगभग 39,230 हैक्टेयर को न्यू लैण्ड बैंक सॉफ्टवेयर में दर्ज करवाया जा चुका है।
- जविप्रा के नाम दर्ज सिवायचक भूमि के कुल 8056 खसरों का मय द्रव्यवती नदी के आस पास दर्ज संपूर्ण 446 खसरों की Geo Location का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- लैण्ड बैंक में दर्ज 90बी के 2062 प्रकरणों एवं 90ए के 2039 प्रकरणों में शामिल खसरा नम्बरान की सूची बनाई जाकर मास्टर प्लान प्रकोष्ठ से लेयर बनवा दिया गया है नवीन प्रकरणों का कार्य लैण्ड बैंक द्वारा किया जा रहा है।
- भू–प्रबन्ध विभाग से जविप्रा क्षेत्र की आमेर, चाकसू, मौजमाबाद, सांगानेर, चौमूं जयपुर, फागी तहसील, जिला जयपुर के 633 ग्रामो की 1446 शीटो की Geo Reference Shape file लैण्ड बैंक शाखा द्वारा सिस्टम एनालिस्ट एवं मास्टर प्लान प्रकोष्ठ में उपलब्ध करवा दी गई है। मास्टर प्लान प्रकोष्ठ द्वारा Geo Reference Shape file पर पूर्व में अनुमोदित जविप्रा आवासीय योजना/निजी खातेदारी/सहकारी समिति की योजनाओं के अकंन का कार्य किया जा रहा है।
- तहसील जमवारामगढ, बस्सी, सांगानेर, चाकसू, चौमूं, जयपुर, फागी, मौजमाबाद (दूदू) से जविप्रा स्वामित्व के खसरा नम्बरान की जमाबन्दी/नामान्तकरण/मन्दिर माफी का अभिलेख प्राप्त किया जाकर आई.टी. सेल से अभिलेख को स्केन करवाया जाकर भावी उपयोग हेतु

सुरक्षित रखा गया है। स्केनशुदा अभिलेख की एक प्रति संबंधित जोन को भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

- जविप्रा स्वामित्व की वर्तमान में त्वरित निस्तारण योग्य भूमि पर मास्टर प्लान से गूगल पर रेवेन्यू मैप सुपरइम्पोज़ करवाकर योजना सृजित करने की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव सम्बन्धित जोन को भिजवाये गये है।
- जविप्रा स्वामित्व की भूमि का सम्पूर्ण रिकॉर्ड की एन आई सी (NIC) से सॉफ्ट कॉपी प्राप्त की जाकर जयपुर रीजन की भूमि के खाता एवं खसरा नम्बरों का ग्रामवार व खसरावार भूमि की छँटनी का कार्य किया जाकर समस्त रिकॉर्ड जोनों को भिजवाया जा चुका है।
- ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट चाकसू में आवाप्ति से मुक्त हुये 13 ग्रामों के 277 खसरों का Geo Location का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- लैण्ड बैंक में दर्ज भूमि के निरीक्षण हेतु नामित अधिकारियों से मौका निरीक्षण करवाया जा रहा है तथा फील्ड विजिट आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
- ग्राम–सिरोली, मुरलीपुरा, दांतली, खोरी रोपाडा, मदरामपुरा, मानपुरा टीलावाला, रामसिंहपुरा उर्फ रामपुरा, सांगानेर, श्योपुर, गणपतपुरा, जयचन्दपुरा, कैलाशपुरा उर्फ कोकावास, मनोरियावाला, गोनेर(सांगानेर), सिरसी, सरनाचौड (जयपुर), खोराबीसल, चन्दवाजी, जयसिंहनगर (आमेर), चौंमू (चौंमू), हरनाथपुरा, बाला की नांगल, रूपा की नांगल, जयसिंहपुरा खोर (जयपुर), मथुरादासपुरा, लांगडियावास (जमवारामगढ), बीडमालपरा उर्फ मुकुन्दपुरा, बगराना, गोविंदपुरा रोपाडा, मदरामपुरा (सांगानेर), चिरोटा, महलां, गिरधारीपुरा, बालमुकुन्दपुरा उर्फ नाडा, राजावास, जयरामपुरा, नारी का बास, चेतावाला, चिराडा, रामपुरा (आमेर), मुण्डियापुरोहितान, अचानचुक्या, रमल्या का बास, मंसारामपुरा, बस्सी, कल्याणपुरा (बस्सी), विधाणी (सांगानेर), जयचन्दपुरा (चाकसू), खेडा जगन्नाथपुरा (चाकसू),बगरू कलां (सांगानेर), घेंघा (सांगानेर), में लैण्ड बैंक द्वारा प्रस्ताव तैयार कर सूचना सम्बन्धित जोन को भिजवाई जाने पर योजना सृजन किया गया है।

आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां

जविप्रा के क्षेत्राधिकार में वन संरक्षक प्रकोष्ठ द्वारा अनुमोदित योजनाओं में स्थित पार्कस् तथा शहर में स्थित मुख्य पार्क– सेन्ट्रल पार्क, रामनिवास बाग, जवाहर सर्किल, नेहरू बालोद्यान, वुडलैण्ड पार्क, हाथोज विस्तार योजना पार्क, सिल्वन पार्क, स्मृति वन सीकर रोड़, टाईगर सफारी, एवं कलेक्ट्रेट सर्किल पार्क में आमजन की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुऐ सघन वृक्षारोपण/संधारण, वॉक–वे/रेलिंग/बैंचेंज/डस्टबिन/रंगरोंगन तथा सिंचाई व्यवस्था हेतु ट्यूबवेल मय भूमिगत पाईप लाईन इत्यादि कार्यो के साथ ही मुख्य सडको के चौराहो पर स्थित फाउन्टेन तथा रोड साइड में स्थित ग्रीनबैल्ट में पौधो के संरक्षण हेतु स्थापित फैंसिंग इत्यादि की मरम्मत एवं संधारण कार्य करवाये गये है एवं वर्षाकाल में रोपित किये गये पौधो की सुरक्षा हेतु राजकीय/निजी संस्थानों एवं आमजन को लगभग 3000 ट्री–गार्ड उपलब्ध कराये गये है। इसके अतिरिक्त रामनिवास बाग में स्थित मसाला चौक के इंटीग्रेट फेसिलिटी एवं मैनेजमेंट की व्यवस्था भी की गयी है। अधिशाषी अभियंता–प्रथम एवं अधिशाषी अभियंता–द्वितीय द्वारा लगभग राशि 1121.96 रू व्यय किये गये।

उद्यानिकी अनुभाग द्वारा जविप्रा क्षेत्राधिकार में वृक्षारोपण कार्य एवं पौध वितरण पर 239.14 लाख एवं विकसित कर संधारित किये जा रहे पार्कों पर 325.25 लाख व शरद ऋतु आने पर सौन्दर्यकरण कार्य पर जविप्रा द्वारा सीजनल फुलवारी लगाकर 33.12 लाख रू. व्यय किये गये है।

अतः उपरोक्त वर्णित उद्यानिकी विकास एवं संधारण कार्यो पर लगभग कुल राशि 1719.47 लाख रूपये का व्यय वर्ष 2022–23 में किया गया है।

1. जविप्रा क्षेत्राधिकार में वृक्षारोपण कार्य एवं पौध वितरण कार्य –

क्र.सं.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	पौधों की संख्या	राशि (लाखों में)
1	जविप्रा क्षेत्राधिकार की विभिन्न कॉलोनियों एवं राजकीय संस्थानों/कार्यालयों/शिक्षण संस्थानों में मानसून ऋतु में पौधों का रोपण	11019	239.14
2	जविप्रा क्षेत्राधिकार में हरितमाच्छादित करने के उद्देश्य से रियायती दर पर आमजन को पौध वितरण	18647	
3	जविप्रा द्वारा संधारित मुख्य सडके		
	कुल	**29666**	

2. जविप्रा क्षेत्राधिकार में विकसित कर संधारित किये जा रहे पार्को का विवरण –

क्रं. सं.	जविप्रा पार्कों का संक्षिप्त विवरण	संख्या	कुल क्षेत्रफल (हैक्टर में)	राशि (लाखों में)
1	संधारित किये जा रहे बडे पार्क	9	70.1900	325.25
2	संधारित किये जा रहे छोटे पार्क	74	12.2641	
3	संधारित किये जा रहे सर्किल, तिकोने व आइलैण्ड	7	4.2822	
	कुल	**90**	**86.7363**	

3. **जविप्रा क्षेत्राधिकार में विकसित कर संधारित की जा रही मुख्य सडकों का विवरण –**

जविप्रा के उद्यानिकी अनुभाग द्वारा प्रमुख सडकें जे.एल.एन. मार्ग, टोंक रोड, महल रोड, दिल्ली रोड, कालवाड रोड, भवानी सिंह भगवान दास रोड, जवाहर सर्किल से बालाजी मोड, बालाजी मोड से गांधी सर्किल, वैशाली नगर, विद्याधर नगर एवं जगतपुरा की मुख्य सडकों पर वृक्षारोपण कर संधारित किया जा रहा है।

4. **मियावाकी पद्धति से जविप्रा क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण कर दो वर्ष संधारण कार्य –**

मियावाकी पद्धति से निम्नांकित कार्य स्थलों पर लगभग 120000 पौधों का सघन वृक्षारोपण कर संधारण किया जायेगा, जिसका कार्यादेश क्रं. 24 दिनांक 18.10.21 से मैसर्स लालचन्द गार्डनिंग एन्टरप्राइजेज को राशि 170.96 लाख रू. का जारी किया गया है। वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है।

5. **जविप्रा द्वारा शरद ऋतु के आगमन पर प्रतिवर्ष जयपुर शहर के मुख्य सर्किलों व चौराहों पर सौन्दर्यकरण की दृष्टि से रखे जा रहे सीजनल फुलवारियों के 20000 गमलें एवं 50000 फुलवारी**

जयपुर विकास प्राधिकरण के उद्यानिकी प्रकोष्ठ द्वारा शरद ऋतु के आगमन पर जयपुर शहर के मुख्य सर्किल, मार्ग, स्थलों व चौराहें/तिराहें जैसे – अमर जवान ज्योति, स्टेच्यू सर्किल, अम्बेडकर सर्किल, गांधी सर्किल, सैन्ट्रल पार्क, जवाहर सर्किल, रामनिवास बाग, जयपुर विकास प्राधिकरण केम्पस आदि पर विभिन्न प्रकार के फूलदार पौधों के गमलें सौन्दर्यकरण की दृष्टि से रखें जाकर संधारित किये जायेंगे ताकि आमजन एवं पर्यटकों को शरद ऋतु में सूर्य की किरणों के साथ–2 रंग–बिरंगे फूलों का मनमोहक एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध हो सके एवं ऋतु परिवर्तन के साथ प्रकृति के हर्षित होने का एहसास आमजन को हो सके।

जविप्रा के वरिष्ठ उद्यानविज्ञ ने अवगत कराया है कि जयपुर शहर के मुख्य सर्किल, मार्ग, स्थलों व चौराहें/तिराहें जैसे – अमर जवान ज्योति, स्टेच्यू सर्किल, अम्बेडकर सर्किल, गांधी सर्किल, सैन्ट्रल पार्क, जवाहर सर्किल, रामनिवास बाग, जयपुर विकास प्राधिकरण केम्पस आदि में शरद ऋतु की फुलवारी में मुख्यतः पिटूनिया, साल्विया, गैंदा, जाफरी, पैंजी, डायन्थस, सिनरेरिया, गजेनिया, स्वीट विलियम्स आदि के 20000 पौधों के गमलें एवं 50000 फुलवारी लगाकर संधारित किये जा रहे है। उक्त सौन्दर्यकरण कार्य पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 33.12 लाख रू. व्यय किये जावेगे।

आईपीडी टावर एवं ह्रदय रोग संस्थान :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा– 2020–21 के अन्तर्गत सवाई मानसिंह चिकित्सालय परिसर जयपुर में उन्नत चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार एवं उन्नयन हेतु नया आईपीडी भवन बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। यह टावर दो बेसमेंट, भूतल तथा 24 मंजिला होगा एवं इसकी ऊंचाई लगभग 121़60 मीटर होगी। इसके अतिरिक्त कार्डियोलॉजी संस्थान का निर्माण भी अस्पताल परिसर में पृथक रूप से किया जाना प्रस्तावित है जिसमें भूतल व चार मंजिलें होंगी। इस प्रकार इन दोनों भवनों के निर्माण से अस्पताल परिसर में निम्न चिकित्सकीय सुविधाएं अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हो सकेंगी।

1 कुल बैड – 1243
2 ऑपरेशन थिएटर – 10
3 कैथ लैब – 04
4 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर – 100
5 मेडिकल मार्टेयर मेमोरियल
6 हेलीपैड – 01
7 विश्व स्तरीय मोर्चरी सुविधा

उक्त कार्य निम्नानुसार दो चरणों में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रथम चरण के कार्य : निर्माण अवधि 20 माह **(29.11.2023)**

1. आईपीडी टावर ढाचे का पूर्ण कार्य मय हेलीपैड तथा 12वीं मंजिल तक सभी कार्य पूर्ण किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रथम चरण के कार्य में लगभग 1100 बैड की सुविधायें उपलब्ध कर अस्पताल का संचालन प्रारम्भ किया जा सकेगा।
2. कार्डियोलॉजी संस्थान के सभी कार्य पूर्ण किए जाने प्रस्तावित हैं।

द्वितीय चरण के कार्य : निर्माण अवधि 12 माह **(29.11.2024)** परियोजना के शेष कार्य पूर्ण किए जाने प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त कार्य हेतु जविप्रा द्वारा रूपये **415.92** करोड़ वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 05.07.2021 को जारी की गई थी जिसे स्वीकृत की गई निविदा में प्राप्त दर के दृष्टिगत व अन्य मदों पर होने वाले व्यय के अनुमान को सम्मिलित कर रूपये **588.00** करोड़ की संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।

वर्तमान स्थिति :– प्राधिकरण द्वारा मैसर्स रामासिविल इन्डिया कन्सट्रक्शन प्रा. लि. को राशि रुपए 456ण्80 करोड़ का कार्यादेश इंजीनियरिंग खरीद एवं निर्माण के आधार पर दिनांक 16.03.2022 को जारी कर दिया गया है जिसके अनुसार कार्य आरम्भ एवं समाप्ति की तिथि क्रमशः 30.03.2022 व 29.11.2024 निर्धारित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रोजेक्ट का दिनांक 05.04.2022 को शिलान्यास कर दिया गया है एवं मौके पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। वर्तमान में फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण कर बेसमेंट B2 की छत एवं स्ट्रक्चरल स्टील के कॉलम तथा बीमों को खड़ा करने का कार्य किया जा रहा है।

<u>महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम तथा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स</u>

<u>परिचय</u>

बजट घोषणा 2021–22 में इस वर्ष की गई घोषणाओं के अर्न्तगत, राज्य सरकार ने महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गर्वनेन्स, राजकीय भूमि पर, सेन्ट्रल पार्क, जयपुर में बनाये जाने की घोषणा की है। इस कार्य योजना की क्रियान्विति के लिए 100.00 करोड रूपये व्यय किये जाने का प्रावधान रखा गया है।

सेन्ट्रल पार्क परिसर में स्थित कनक भवन को कम से कम परिवर्तन के साथ पुर्नउपयोग (Adaptive Reuse) द्वारा Mahtma Gandhi Institute of Governance and Social Sciences में परिवर्तित किया गया है। कार्य को 30 दिवस से भी कम समय में पूर्ण कर दिनांक 02 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा इस्टीट्यूट का उद्घाटन किया जा चुका है। वर्तमान में इंस्टीट्यूट को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।

परियोजना से लाभ

इस परिसर में युवाओं को महात्मा गांधी जी की शिक्षा को आत्मसात् करते हुए गर्वनेन्स तथा सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जायेगा।

गांधी दर्शन म्यूजियम में गांधीजी की विरासत से संबंधित वस्तुओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया जाएगा एवं गांधी जी के जीवन से जुडे मुख्य आंदोलनों को नई तकनीक के जरिए इस तरह से दर्शाया जाएगा जिससे दर्शक एवं विशेष तौर पर युवा इन आंदोलनों एवं घटनाओं को अनुभव कर सके एवं म्यूजियम से जुडाव महसूस करें।

उक्त कार्य पर आदिनांक तक राशि रू. 12.43 करोड व्यय किए जा चुके है एवं कार्य जनवरी, 2023 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान स्थिति

कार्य के प्रथम चरण में म्यूजियम के स्ट्रेक्चर से संबंधित निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके अन्तर्गत लगभग कुल 90ः संरचनात्मक कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं राशि रू. 1048.53 लाख व्यय किये जा चुके है।

द्वितीय फेज में भवन की चिनाई, फिनिशिंग, विद्युत, यांत्रिकी एवं इन्टिरियर से संबंधित कार्य, ईपीसी आधार पर किये जाने प्रस्तावित है, इस फेज के अन्तर्गत दिनांक 20.10.2022 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है और मौके पर पत्थर, AAC ब्लॉक, एवं ईटों की चिनाई, स्टोन फलोरिंग, फायर फाईटिंग एवं रेमिंग अर्थ वाल का कार्य प्रारम्भ कर दिये गये है तथा शीध्र ही अन्य कार्य प्रारम्भ कर दिये जाएेंगे।

तृतीय फेज में म्यूजियम के डिजिटल एवं तकनीकी संबंधित कार्य ईपीसी आधार पर किये जाने है जिस हेतु दिनांक 14.07.2022 को कार्यादेश दिया जाकर कार्य प्रगति पर है। तृतीय फेज के अन्तर्गत डिजाईन वर्क से संबंधित कंटेट प्लान, अलग–अलग थीम के अनुसार गैलरी डिजाईन, विजिटर्स के फ्लो तथा कंटेट पर राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत ग्यारह सदस्य कमेटी, श्री कुमार प्रशांत जी, कंसलटेंट और जविप्रा स्तर पर इन्हें फाइनल किया जा चुका है, मौके पर बेसमेंट एवं लोअर ग्राउण्ड फ्लोर पर पीलर एवं छतों पर प्राइमर, पेंट, पुट्टी एवं पार्टीशन वाल, विद्युत लाईन का कार्य प्रगति पर है एवं राशि रू. 195.00 लाख व्यय किये जा चुके है।

चतुर्थ फेज में म्यूजियम परिसर के बाहरी विकास कार्य ईपीसी आधार पर किये जाने जिस हेतु दिनांक 07.10.2022 को कार्यादेश दिया जाकर मिट्टी भरने का कार्य, विद्युत संबंधित उपकरणों के आदेश जारी कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं अन्य कार्य प्रगति पर है।

पंचम फेज में स्लोपिंग रूफ मय मैंगलोर टाईल (केलू) के कार्य किये जाने है जिस हेतु कार्यादेश दिनांक 10.11.2022 को जारी किया जा चुका है।

उक्त परियोजना पर आदिनांक तक राशि रू. 12.43 करोड व्यय किए जा चुके है एवं कार्य जनवरी, 2023 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है

लक्ष्मी मन्दिर तिराहा

बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर शहर के यातायात वृद्वि से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण एवं सौन्दर्यकरण के कार्य हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किये गये स्थानों की सूची के अन्तर्गत जयपुर शहर के मुख्य जंक्शन में लक्ष्मी मन्दिर तिराहा को भी सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में इस जंक्शन पर व्यवस्ततम समय में ट्रैफिक जाम की अत्यन्त समस्या रहती है जिससे

समय के साथ–साथ ईंधन की भी बर्बादी होती है। इस कारण लक्ष्मी मन्दिर तिराहे को जयपुर की पारम्परिक स्थापत्य कला एवं संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए सौन्दर्यकरण एवं ट्रैफिक सिग्नल मुक्त जंक्शन बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें सौन्दर्यीकरण के साथ–साथ सब्जी मण्डी सड़क से टोंक रोड पर लगभग 400.0 मीटर लम्बाई में दो–लेन अण्डरपास एवं दो पैदल यात्री सब–वे बनाए जाने प्रस्तावित है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य के लिये मैसर्स जे.सी.सी इन्फ्रा प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 को कार्यादेश क्रमांक 01 दिनांक 29.12.2021 राशि रू0 65.34 करोड़ का जारी किया जा चुका है। तथा कार्य लगभग 18 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य पर लगभग राशि रू. 13.00 करोड का व्यय किया जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है।

ओ.टी.एस. चौराहा, जे.एल.एन. मार्ग

जे.एल.एन. मार्ग जयपुर सिटी में स्थित विभिन्न मुख्य मार्गों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्ग है जो जयपुर अर्न्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट को जयपुरसिटी से जोडता है। इसी वजह से अक्सर वी.आई.पी. वाहनों का आवागमन भी जे.एल.एन. मार्ग से ही होकर गुजरता है। इस कारण उक्त मार्ग पर दिनभर ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव बना रहता है। ओ.टी.एस. चौराहे पर जे.एल.एन. मार्ग एवं गोपालपुरा बाईपास से आने जाने वाले ट्रैफिक का विलय होता है जिस कारण से यहां ट्रैफिक का दबाव और भी ज्यादा बना रहता ओ.टी.एस. चौराहे पर जे.एल.एन. मार्ग पर आने जाने वाले ट्रैफिक हेतु स्टील ब्रिज एवं टोंक रोड से झालाना की ओर आने जाने वाले ट्रैफिक हेतु दो रोटरी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिस से ओ.टी.एस. चौराहे पर ट्रैफिक आवागमन पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित एवं सुगम हो जायेगा। परियोजना की अनुमानित लागत राशि रू. 150.08 करोड है एवं कार्य जनवरी, 2024 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

–: सार संक्षेप :–

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार की आंकाक्षाओं और संकल्पों के साथ शहर के सुनियोजित विकास के साथ–साथ आधारभूत ढांचे को सुदृढ करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। जयपुर विकास प्राधिकरण की रचनात्मक सोच और सामाजिक सरोकार से जुडे फैसलों के कारण स्थायी विकास का एक ऐसा मॉडल साकार होता नजर आ रहा है जहां शहर की तस्वीर बेहद तेजी से बदल रही है।